

सा-03
2017-18

कार्यक्रियपत्र
AP06
22-5-17

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद
सम्परीक्षा आख्या

संस्था का नाम :- नगर पालिका परिषद, इटावा

अवधि :- 2015-16

सम्परीक्षा का दिनांक :- लेखे की सम्परीक्षा दिनांक 01.08.2016 को प्रारम्भ करके दिनांक 31.03.2017 को समाप्त की गयी।

“ यह सम्परीक्षा भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा स्थापित मापदण्डों एवं तकनीकी दिशा निर्देशों के अन्तर्गत तथा राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों एवं सम्बन्धित अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सम्पन्न की गयी है। ”

प्रशासन :- आलोच्य वर्ष में पालिका परिषद का प्रशासन निम्नवत रहा :-

अध्यक्ष - श्री कुलदीप गुप्ता, सम्पूर्ण अवधि

अधिसासी अधिकारी - (1) श्री ज्ञानेन्द्र सिंह अपरजिलाधिकारी, इटावा दिनांक 01.04.2015 से 23.06.2015 तक

(2) श्री ईश्वर चन्द्र, अपर जिलाधिकारी, इटावा दिनांक 24.06.2015 से 24.08.2015 तक।

(3) श्रीमती नीलम चौधरी, दिनांक 25.08.2015 से 31.03.2016 तक।

आहरण-वितरण का कार्य अध्यक्ष एवं अधिसासी अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।

सम्परीक्षा का स्वरूप :- उप लेखा परीक्षा।

भाग-(क)

क- वित्तीय एवं सामान्य महत्व की अनियमितताएँ :-

(1) जलकल विभाग में नियमित कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त सार्वजनिक अवकाश/छुट्टियों में कार्य करने पर आलोच्य अवधि में रू0 12,18,799.00 का अनियमित ढंग से अतिरिक्त वेतन का भुगतान किया जाना रू0 12,18,799.00 :- व्यय प्रमाणकों की जाँच में देखा गया कि जलकल विभाग के नियमित कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त सार्वजनिक अवकाश/छुट्टियों में कार्य करने पर अतिरिक्त वेतन का भुगतान किया गया था। शासनादेश सं0-3/2-1972 दिनांक 25.07.1973 के अनुसार यदि कर्मचारी को छुट्टियों में कार्य की अधिकता के कारण बुलाया जाता है तो उसे छुट्टी की एवज में उस कर्मचारी को किसी अन्य कार्य दिवस में प्रतिकर अवकाश देय है जबकि पालिका द्वारा छुट्टी की एवज में अतिरिक्त वेतन का भुगतान किया गया था जो गम्भीर रूप से अनियमित एवं आपत्तिजनक था। उदाहरणार्थ व्यय प्रमाणक सं0 76 दिनांक 19.03.2016 द्वारा जलकल विभाग के नियमित कर्मचारियों को माह अक्टूबर 15 में 02.10.15, 13.10.15, 21.10.15, 22.10.15, 24.10.15, 27.10.15 एवं 31.10.15 तथा नवम्बर 15 में 11.11.15, 12.11.15, 13.11.15, 17.11.15 एवं 25.11.15 तिथियों का भुगतान 49 कर्मचारियों को रू0 403359.00 अतिरिक्त वेतन का भुगतान किया गया था, जिसका विस्तृत विवरण संलग्नक परिशिष्ट “छ” में दर्शाया गया है।

आलोच्य अवधि 2015-16 में जलकल विभाग में नियमित कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त सार्वजनिक छुट्टियों के दिनों को अतिरिक्त वेतन रू0 12,18,799.00 अनियमित ढंग से भुगतान किया गया था, जिसकी उत्तरदायी अधिकारी जिसने भुगतान का आदेश पारित किया है, वसूली की जाय। भुगतान का विवरण निम्नवत था:-

व्यय प्रमाणक संख्या	दिनांक	धनराशि	सार्वजनिक अवकाश की तिथियाँ
76	19.03.16	403359.00	02.10.15, 13.10.15, 21.10.15, 22.10.15, 24.10.15, 27.10.15, 31.10.15, 11.11.15, 12.11.15, 13.11.15, 17.11.15, 25.11.15
121	19.11.15	171951.00	03.05.15, 04.05.15, 09.05.15 व 03.06.15
55	08.01.16	238876.00	17.07.15, 18.17.15, 15.08.15, 28.08.15, 05.09.15, 17.09.15, 25.09.15
96	11.09.15	220520.00	03.04.15, 05.04.15, 14.04.15, 17.04.15, 20.04.15, 26.04.15
141	07.05.15	184094.00	अज्ञात
	<u>योग रू0</u>	<u>1218799.00</u>	

(2) दिसम्बर 2012 से 27 जुलाई 2016 तक वाहन भत्ते का अनियमित एवं अधिक भुगतान रू0 1,51,974.00 :- वेतन देयकों की जाँच में पाया गया कि दिसम्बर 2012 से जे0 ई0 सफाई निरीक्षक को रू0 700.00 प्रतिमास तथा पत्रवाहक टी0 सी0 सफाई नायक तथा पैरोकार को रू0 100.00 प्रतिमाह वाहन भत्ते का भुगतान किया जा रहा था तथा इसके पूर्व क्रमशः रू0 350.00 एवं रू0 50.00 प्रतिमाह किया गया था। स्थानीय निकाय में वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण 01 शासनादेश सं0-1410/9-1-16-473 सा/12 दिनांक 28 जुलाई 2016 द्वारा शासनादेश जारी होने की तिथि से किया गया था। इस प्रकार दिसम्बर 2012 से रू0 700.00 प्रतिमास तथा रू0 100.00 प्रतिमास वाहन भत्ते का भुगतान किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक था। दिसम्बर 2012 से 27 जुलाई 2016 तक वाहन भत्ते का अनियमित एवं अधिक भुगतान किया गया था, जिसकी वापसी सुनिश्चित की जाय।:-

क्रमांक	नाम/पदनाम	वाहन भत्ते की अनुमन्य दर प्रतिमास	भुगतान किये वाहन भत्ते की दर प्रतिमास	दिसम्बर 12 से 27 जुलाई 16 तक अधिक भुगतान की धनराशि
1	2	3	4	5
1.	श्री कमलेश कुमार पत्रवाहक	50	100	2194.00
2.	श्री राजकुमार वर्मा पत्रवाहक	50	100	2194
3.	श्री केशव सिंह टी0 सी0	50	100	2194
4.	श्री तहसीन अहमद टी0 सी0	50	100	2194
5.	श्री सुरेश सिंह टी0 सी0	50	100	2194
6.	श्री शादी लाल टी0 सी0	50	100	2194
7.	श्री वृजेश कुमार टी0 सी0	50	100	2194
8.	श्री अरविन्द कुमार मीटर रीडर	50	100	2194
9.	श्री अनिलकुमार कुदेदिया टी0 सी0	50	100	2194
10.	श्री विनोद कुमार दीक्षित टी0 सी0	50	100	2194
11.	श्री हसन अख्तर टी0 सी0	50	100	2194
12.	श्री रामयादव जे0 ई0	350	700	15355.00
13.	श्री वीरसिंह जलकल	50	100	2194
14.	श्री वीरेन्द्र कुमार जलकल	50	100	2194
15.	श्री राकेश चन्द्र शुक्ला स0 न0	50	100	2194
16.	श्री सुरेश बाबू स0 न0	50	100	2194
17.	श्री महावीर स0 न0	50	100	2194
18.	श्री अवनेश स0 न0	50	100	2194
19.	श्री अशोक कुमार स0 न0	50	100	2194
20.	श्री जगदीश स0 न0	50	100	2194
21.	श्री नरेश स0 न0	50	100	2194
22.	श्री सुनील स0 न0	50	100	2194
23.	श्री किशोरी सिंह जे0 ई0	350	700	15355.00
24.	श्री हेमन्त कुमार जे0 ई0	350	700	13355.00
25.	श्री वीरेन्द्र सिंह पाल पैरोकार	50	100	2194
26.	श्री सत्यवीरसिंह यादव पैरोकार	50	100	2194
27.	श्री संग्राम सिंह पैरोकार	50	100	2194
28.	श्री रामानन्द खाद्य एवं सफाई निरीक्षक	350	700	15355.00
29.	श्री अशोक कुमार पाल खाद्य एवं सफाई निरीक्षक	350	700	15355.00
30.	श्री प्रमोद कुमार खाद्य एवं सफाई निरीक्षक	350	700	15355.00
31.	श्री आनन्द प्रकाश वैक्सीनेटर	50	100	2194
32.	श्री अनिलकुमार लिपिक, जन्म/मृत्यु	50	100	2194
33.	डा0 ज्ञानेन्द्र कुमार वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्ति 26.11.15	350	700	2800.00

वाहन भत्ते का कुल अधिक भुगतान रू0 151974.00

(3) मै0 श्रमेव कान्स्ट्रक्टर को श्रमिक आपूर्ति हेतु किये गये भुगतान में पायी गई अनियमिततायें :- सफाई कर्मचारियों से भिन्न ठेका श्रमिकों से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में देखा गया कि माह नवम्बर 2015 तक आपूर्ति कर्ता ठेकेदार मै0 इकबाल को रू0 12+ 1 प्रतिशत = 121.20 प्रतिदिन प्रति श्रमिक की दर से भुगतान किया जा रहा था। बोर्ड प्रस्ताव सं0 4 दिनांक 18.11.2015 द्वारा मंहगाई के अनुसार दरें कम होने के कारण शासनादेश संख्या-1/2015/जी0-2/23/दस-2015-301/85 टी0 सी0 दिनांक 16.02.2015 (वित्त अनुभाग-1) के आधार पर दरें रू0 170.00 प्रति श्रमिक प्रतिदिन किये जाने किये जाने हेतु प्रस्तावित पारित किया गया था जिसके आधार पर टेण्डर कार्यवाही कर दिसम्बर 2015 से टेण्डर दर रू0 206=73 से भुगतान किया जा रहा था यह भुगतान मै0 श्रमेव कान्स्ट्रक्टर को किया जा रहा था जिसमें सभी कर (सेवा कर सहित) सम्मिलित थे।

पूर्व ठेकेदार मो0 इकबाल की पत्रावली की जाँच में देखा गया कि बढ़ी हुई दरों को लागू करने हेतु ठेकेदार द्वारा कोई आवेदन नहीं किया गया था और न ही वर्तमान दर रू0 120+1 प्रतिशत पर श्रमिक आपूर्ति में असमर्थता व्यक्त की गयी थी। इसके अतिरिक्त पूर्व ठेकेदार का ठेका निरस्त भी नहीं किया गया था। पूर्व ठेकेदार के अनुबन्ध में कोई समयावधि अंकित न होने से श्रमिक आपूर्ति पूर्व दरों पर करने हेतु ठेकेदार बाध्य था। ऐसी दशा में उच्च दर हेतु निविदा आमंत्रित करना तथा भुगतान करना अनियमित था कार्यवाही ठेकेदार को लाभ पहुँचाते तथा पालिका को क्षति पहुँचाने वाली थी। इससे पालिका को क्षति पहुँचाकर ठेकेदार को निम्नवत अधिक भुगतान किया गया था:-

	माह दिसम्बर 2015	जनवरी 2016	फरवरी 2016
मानव दिवस	9699.00	9785.00	9343.00
भुगतान दर	206.73	206.73	206.73
देय दर	121.50	121.50	121.50
अधिक दर	85.23	85.23	85.23
कुल अधिक भुगतान	826646.00	833976.00	796304.00
	योग	2456926.00	

उपर्युक्त की ही भाँति अधिक भुगतान वर्तमान में भी किया जा रहा था। इस प्रकार आलोच्य वर्ष में लगभग एक करोड़ का अधिक भुगतान होने की सम्भावना थी। अधिक भुगतान के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

उल्लेखनीय है कि शासनादेश के अनुसार दरों को संशोधित किये जाने हेतु श्रमिकों द्वारा श्रम प्रवर्तन अधिकारी, इटावा से प्रार्थना की गयी थी जिस पर श्रम अधिकारी का पत्र संख्या-266-67 दिनांक 26.06.2015 पालिका को प्राप्त हुआ था जिसमें स्पष्ट उल्लेख था कि पालिका में कार्यरत सभी ठेकेदारी प्रथा कर्मचारी जिनका भुगतान पालिका द्वारा सीधे कर्मचारियों को किया जाता है, उन पर उक्त शासनादेश द्वारा संशोधित मजदूरी भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है।

उक्त पत्र के अनुसार पालिका द्वारा जिन ठेका कर्मिकों को सीधे भुगतान किया जा रहा हो, उन पर ही उक्त संशोधित दरें/शासनादेश लागू था। ठेका श्रमिकों का भुगतान पालिका द्वारा सीधे न कर ठेकेदार द्वारा किया जा रहा था। अतः उक्त शासनादेश लागू नहीं था। इसके अतिरिक्त ठेकेदार द्वारा निर्धारित दर से श्रमिकों के बैंक खातों में भुगतान का प्रमाण पत्र भी पालिका को नहीं दिया गया था।

परन्तु पालिका द्वारा अपने स्तर से ही एक तरफा कार्यवाही करते हुए श्रमिक आपूर्ति हेतु निविदायें आमंत्रित कर उच्च दर से दिसम्बर 2015 से भुगतान किया जाने लगा। प्रकरण कार्यवाही हेतु संज्ञान में लाया जाता है।

(4) ठेका श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश के दिनों का भुगतान किये जाने से अधिक भुगतान रू0 94,53,126.00 :- ठेका श्रमिक (सफाई कर्मी तथा सफाई कर्मियों से भिन्न) भुगतान पत्रावलियों की जाँच में देखा गया कि सभी कर्मियों को माह के पूर्ण दिनों का भुगतान पालिका द्वारा ठेकेदार को किया जा रहा था। जबकि प्रत्येक प्रकार के कर्मचारी को साप्ताहिक अवकाश अनिवार्य रूप से देय है जैसा कि शासनादेश संख्या-3390/9-1-15-66 सा/2015 नगर विकास अनुभाग-1 दिनांक 21.11.2015 से स्पष्ट है। इस प्रकार माह में 26 दिन का ही भुगतान देय है। साप्ताहिक अवकाश का भुगतान किये जाने से आलोच्य सम्परीक्षा माहों में निम्नवत अधिक भुगतान किया गया था। :-

माह	कर्मचारियों की संख्या	साप्ताहिक अवकाश	दर	अधिक भुगतान
देयक माह जनवरी 2016	340			
— " — फरवरी 2016	340	340×5=1700 दिवस	252.50	429250.00
		341×4=1364 दिवस	252.50	344410.00
देय माह जनवरी 2016	323	सफाई कर्मों से भिन्न अन्य ठेका कमी कार्यालय/जलकल		
देय माह फरवरी 2016	324	323×5=1615 दिवस	206.73	333869.00
		324×4=1296 दिवस	206.73	267922.00
			योग	1375451.00

इस प्रकार रू0 वर्ष में अनुमानित रू0 82527061.00 का अधिक भुगतान किया गया था। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(2) कार्यालय से सम्बद्ध ठेका कर्मियों को पूरे माह उपस्थित दर्शाकर भुगतान किया जा रहा था, जबकि कार्यालय में रविवार, द्वितीय शनिवार के अतिरिक्त राजपत्रित तथा राष्ट्रीय पर्वों पर अवकाश रहता है। वर्ष में लगभग 95 दिन कार्यालय बन्द रहता है, जिसका अनियमित भुगतान ठेकेदार को किया गया था। कुल 324 कर्मियों में जलकल तथा प्रकाश विभाग के 202+18=220 कर्मचारियों को छोड़कर शेष 104 कर्मियों को 95 दिन प्रति कर्मचारी से 9880.00 मानव दिवस का रू0 121.50 की दर से रू0 1200420.00 अधिक भुगतान ठेकेदार को किया गया था। अधिक भुगतान की वसूली सुनिश्चित की जाय।

(5) आउट सोर्सिंग देयकों से सेवाकर कटौती न किये जाने से ठेकेदार को अधिक भुगतान रू0 8,64,114.00 :- मै0 श्रमेव कान्ट्रेक्टर एण्ड सप्लायर्स को आलोच्य वर्ष में सफाई कर्मचारियों से भिन्न ठेका कर्मियों (कार्यालय, जलकर मार्ग प्रकाश, निर्माण राजस्व विभाग) के देयकों से सेवाकर की कटौती नहीं की गयी थी। उल्लेखनीय है कि स्वीकृति निविदा के अनुसार देय करों के कटौती के उपरान्त ठेकेदार को भुगतान किया जाना था। निविदा शर्तों में निविदादाता का सेवाकर में पंजीयन आवश्यक था, परन्तु उक्त ठेकेदार का पंजीयन सेवाकर विभाग में नहीं था तथा ठेकेदार से सेवाकर का 14 1/2 प्रतिशत कटौती किये बिना ही कर दिया गया था। सम्परीक्षित माहों में निम्नवत अधिक भुगतान हुआ था।:-

चैक संख्या	व्यय प्रमाणक संख्या	दिनांक	बिल धनराशि	सेवाकर	देय माह
076747	42	07.01.2016	2005074.00	290736.00	दिसम्बर 15
109842	72	10.02.2016	2022853.00	293314.00	जनवरी 16
109911	32	08.03.2016	1931478.00	280064.00	फरवरी 16
			योग	864114.00	

अतः उक्त धनराशि तथा इसके उपरान्त भुगतान किये गये देयकों पर देय सेवाकर की गणना कर समस्त धनराशि ठेकेदार से वसूलकर सेवाकर विभाग में चालान से जमा करायी जाय।

(6) पालिका द्वारा सेवाकर जमा न किये जाने से राजकीय राजस्व की क्षति रू0 43,58,351.00 :- ठेका सफाई श्रमिक (सेवा प्रदाता द्वारा) पत्रावली की जाँच में देखा गया कि सफाई श्रमिकों की आपूर्ति बोर्ड बैठक दिनांक 27.05.2015 के प्रस्ताव सं0 4 द्वारा पूर्व स्वीकृति दरों एवं शर्तों पर दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक 337 श्रमिकों की आपूर्ति का कार्यादेश पत्रांक मेंमो/सा0 प्रा0/2015-16 दिनांक 28.05.2015 द्वारा ठेकेदार मै0 मुहम्मद इकबाल निवासी मढ़ैया ख्यालीराम इटावा का स्वीकृति किया गया था। गत वर्ष 2014-15 में सफाई श्रमिकों की आपूर्ति हेतु न्यूनतम निविदा रू0 250 + 1 प्रतिशत अधिक प्रति सफाई श्रमिक प्रतिदिन तथा सभी करों का भुगतान नगर पालिका परिषद द्वारा किया जायेगा, स्वीकृति किया गया था। वर्ष 2015-16 के सफाई श्रमिक आपूर्ति के देयकों की जाँच में पाया गया कि देयक के साथ ही आयकर का भुगतान कर दिया गया था किन्तु 14.5 प्रतिशत सेवाकर का भुगतान/जमा नहीं किया गया था। यह स्थिति अनियमित एवं आपत्तिजनक थी। इसके जमा न किये जाने से राजकीय राजस्व की क्षति हुई थी। सेवाकरका विवरण निम्न थ :-

माह	श्रमिक की संख्या	कुल दिन	देयक की राशि	सेवाकर की धनराशि
मार्च 15	335	9658.5	2438771.00	353622.00
अप्रैल 15	335	9679.0	2443948.00	354372.00
मई 15	337	10125.5	2556689.00	370720.00
जून 15	337	9834.0	2483085.00	360047.00

जुलाई 15	337	10144.5	2561486.00	371415.00
अगस्त 15	337	10140.0	2560350.00	371251.00
सितम्बर 15	337	9756.0	2463390.00	357192.00
अक्टूबर 15	337	10139.0	2560098.00	371214.00
नवम्बर 15	337	9746.0	2460865.00	356825.00
दिसम्बर 15	338	10095.5	2549114.00	369622.00
जनवरी 16	340	10258.5	2590271.00	375589.00
फरवरी 16	341	9463.5	2389534.00	346482.00
			योग	4358351.00

(7) 20 मीटर हाई मास्ट लाइट की आपूर्ति/स्थापना में ठेकेदार बी० के० विल्डर्स उरई को वैट का अधिक भुगतान/राजस्व क्षति रू० 6,15,080.00 :- व्यय प्रमाणक संख्या-148 दिनांक 22.12.2015 द्वारा रू० 7364523.00 का भुगतान मै० वी० के० विल्डर्स उरई को 20 मीटर हाई मास्क लाइट की आपूर्ति/स्थापना हेतु किया गया था।

पत्रावली की जाँच में देखा गया कि अन्तिम बिल में 14 प्रतिशत की धनराशि रू० 896550.00 अतिरिक्त जोड़ी गयी थी जबकि भुगतान में 4 प्रतिशत व्यापार कर की कटौती की गयी थी। प्रथम रंनिक बिल से रू० 57853.00 द्वितीय रंनिग बिल से रू० 163470.00 तथा अन्तिम बिल से रू० 60417.00 तथा कुल रू० 281470.00 वैट के रूप में रू० 896550.00 भुगतान किया गया था। इस प्रकार रू० 896550-281470= रू० 615080.00 वैट की कम कटौती कर ठेकेदार को लाभ तथा राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी थी। अतः यह धनराशि ठेकेदार/उत्तरदायी अधिकारी से कराकर कोषागार में जमा करायी जाय।

(2) आपूर्ति कर्ता ठेकेदार द्वारा अपने प्रथम बिल संख्या-01/020 दिनांक 08.01.2016 में 04 नग पोल आपूर्ति स्थापना का बिल रू० 5758308.96 तथा 01 पोल स्थापना का बिल रू० 1439577.00 दिनांक 22.12.2015 का था, जिसका भुगतान दिनांक 20.12.2015 में ही बैंक सं०- 086867 द्वारा कर दिया गया था। यह आश्चर्य जनक था।

(3) ठेकेदार द्वारा जमानत राशि रू० 720000.00 नहीं जमा की गयी थी। यह अनियमित एवं आपत्तिजनक था। बिना जमानत कार्य कराये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाय।

(4) बिल पर ठेकेदार द्वारा सामग्री की दी गयी दरें टेण्डर से 14 प्रतिशत बढ़ाकर दर्शायी गयी थी। यह अनियमित था। नियमानुसार वैट की धनराशि बिल के योग में प्रथम से अंकित कर जोड़ी जाती है।

(5) दरों की पुष्टि में फिलिप्स इण्डिया की रेट लिस्ट संलग्न नहीं थी और न ही निर्माता द्वारा दरों की पुष्टि की गयी थी।

(8) हाई मास्ट लाइट आपूर्ति तथा स्थापना कार्य में कम स्टैम्प लगाये जाने से राजकीय राजस्व की क्षति रू० 1,79,050.00 :- आलोच्य वर्ष में पालिका द्वारा ठेकेदारों के माध्यम से हाई मास्ट लाइट आपूर्ति तथा स्थापना कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच में देखा गया कि ठेकेदार द्वारा मात्र 100.00 के स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध कराया गया था, जबकि इसमें निर्माण कार्यों की तरह स्वीकृति निविदा कार्यादेश धनराशि पर देय 10 प्रतिशत जमानत धनराशि पर 7 प्रतिशत की दर स्टैम्प देय थे। इस प्रकार कम स्टैम्प लगाये जाने से ठेकेदार को लाभ तथा राजस्व की क्षति पहुँचाई गयी थी। :-

व्यय प्रमाणक संख्या	दिनांक	बिल/टेण्डर धनराशि	ठेकेदार का नाम	कार्य का विवरण	देय स्टैम्प	राजस्व की क्षति
1	2	3	4	5	6	7
85	10.02.16	7364523.00	वी० के० विल्डर्स एण्ड सप्लायर्स उरई	05 स्थानों पर हाई मास्ट लाइट तथा स्थापना	51560.00	51460/-
39	12.04.16	7197884.00	वी० के० विल्डर्स एण्ड सप्लायर्स उरई जालौन	05 स्थानों पर 20 मीटर हाई मास्ट लाई आपूर्ति तथा स्थापना कार्य।	50390.00	50290/-
140	28.06.16	10309056.00	वी० के० विल्डर्स एण्ड	05 स्थानों पर 30	72200.00	72100/-

			सप्लायर्स उरई जालौन	मीटर हाई मास्ट लाई आपूर्ति तथा स्थापना कार्य।		
149	22.12.15	750348.00	मै० श्याम इलेक्ट्रिक वर्क्स इटावा	काली वाहन मन्दिर पर विद्युत पोल स्थापना कार्य।	5300.00	5200 / -
					योग-	179050 / -

अतः उक्त स्टाम्प की प्रतिपूर्ति कराकर दिखाई जाय।

(9) विगत 22 वर्षों से कर निर्धारण कार्यवाही न किये जाने से पालिका को करोड़ों रुपये की क्षति :- गृहकर तथा जलकर लेखे की जाँच से प्रकाश में आया कि पालिका द्वारा वर्ष 1989 में 05 वर्षों हेतु कर निर्धारण की कार्यवाही की गयी थी जिसे 1994 में पुनः किया जाना चाहिए था परन्तु वर्ष 1994 से फरवरी 2017 तक/सम्परीक्षा तक कोई कर निर्धारण कार्यवाही नहीं की गयी थी। वर्ष 1989 से अब तक नवनिर्मित भवनो, पुर्ननिर्मित भवनो, नव विकसित क्षेत्रों/मोहल्लों, भवन विस्तार आदि पर कोई निर्धारण/पुननिर्धारण नहीं किया गया था। इस प्रकार वर्ष 1989 में किये गये कर निर्धारण के दौरान कर निर्धारण दायरें में लाये गये भवनों तथा तत्समय के कवर्ड एरिया के आधार पर ही कर की वसूली की जा रही थी। वर्ष 2009-10 में इसमें एक बार मात्र 25 प्रतिशत वृद्धि की गयी थी जबकि वर्ष 1989 से अब तक नगर का विस्तार तथा जनसंख्या कई गुना बढ़ चुकी थी।

पालिका में कर निर्धारण अधिकारी, कर अधीक्षक, कर निर्धारण के नियमित पद होते हुए भी उक्त स्थिति अधिकारियों के कार्य के प्रति उदासीनता को दर्शाती है तथा इस पर किया गया वेतन व्यय एक प्रकार से धन का अपव्यय है। इसके अतिरिक्त कर निर्धारण दायरें में भवनों को शामिल किये बिना पालिका द्वारा इन क्षेत्रों में समस्त नागरिक सुविधाओं का विकास किया जा रहा था।

आलोच्य वर्ष में पालिका द्वारा गृहकर मद में रू० 6879521.00 जलकर रू० 6731711.00 तथा जलमूल्य रू० 4472684.00 कुल रू० 1808916.00 की वसूली हुई थी। यदि नियमानुसार कर निर्धारण किया जाय तो इन मदों में न्यूनतम रू० 10 करोड़ की आय पालिका को हो सकती थी। इस प्रकार कर निर्धारण कार्यवाही न किये जाने से पालिका को प्रतिवर्ष 08 करोड़ रुपये की क्षति हो रही थी। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(10) दुकान किराया पंजी में पायी गयी अनियमिततायें :- सम्परीक्षा में प्रस्तुत दुकान किराया मॉग वसूली पंजिका की जाँच में निम्न अनियमिततायें पायी गयी :-

(1) मॉग वसूली पंजिका निर्धारित प्रारूप पर नहीं थी। इसमें प्रत्येक किरायेदार से वसूल धनराशि का वार्षिक योग तथा वर्ष के अन्त में बकाया अंकित नहीं किया गया था और न ही इसमें प्रत्येक पृष्ठ पर वर्तमान मॉग गत वर्ष का बकाया कुल मॉग, वसूल धनराशि तथा वर्ष के अन्त में बकाया धनराशि के योग नहीं लगाये गये थे। गत वर्ष की पंजिका में बकाया अंकित न होने के कारण आलोच्य वर्ष दर्शाये गये बकाया धनराशि से मिलान नहीं किया जा सका। अतः पंजिका में योग तथा अवशेष अंकित कर इनका प्रगामी योग करते हुए वार्षिक गोशवारा बनाकर दिखाया जाय।

(2) वसूली की प्रविष्टि करने वाले लिपिक द्वारा पंजिका में प्रविष्टि के समक्ष हस्ताक्षर नहीं किये गये थे। यह अनियमित था। अतः इसका अनुपालन सुनिश्चित की जाय।

(3) पंजिका के प्रथम पृष्ठ पर सक्षम अधिकारी द्वारा इसका प्रमाण पत्र अंकित नहीं किया गया था कि गत वर्ष की पंजिका में दर्शाये गये सभी किरायेदारों तथा सम्पत्तियों को नवीन पंजिका में सही-सही अंकित कर लिया गया है तथा गत वर्ष के अन्त में प्रत्येक किरायेदार पर बकाया धनराशि को नये रजिस्टर में अंकित कर लिया गया है। इसकी पूर्ति की जाय।

(4) मॉग वसूली पंजिका सम्पत्ति कम हसंख्या के अनुसार न बनाकर मॉग संख्या के अनुसार बनाया गया था जिसमें एक डिमाण्ड संख्या में एक किरायेदार के नाम एक से अधिक दुकानें थी, जो अलग-अलग दर की थी तथा सभी की मॉग एक साथ अंकित की गयी थी। उदाहरणार्थ गुदड़ी बाजार में मॉग संख्या-195 पर श्री सत्यप्रकाश पुत्र सेवाराम के नाम 05 दुकान क्रमांक 267, 142, 143, 135 एवं 136 थी। किस दुकान का किराया कितना था। यह स्पष्ट नहीं था। दुकानों की पैमाइश भी अलग-अलग अंकित नहीं थी। वर्ष की

मॉग रू0 16200.00 तथा गत बकाया रू0 35400.00 सहित कुल मॉग रू0 51600.00 थी जिसमें आलोच्य वर्ष में कोई धनराशि जमा नहीं की गयी थी।

(11) आपूर्ति तथा स्थापना कार्य में ठेकेदार मै0 बी0 के0 विल्डर्स एण्ड सप्लायर्स को अनियमित ढंग से ठेका दिया जाना :- सम्परीक्षा में व्यय प्रमाणकों की जाँच में देखा गया कि आलोच्य वर्ष में पालिका द्वारा हाई मास्क लाइट 20 मीटर/30 मीटर की आपूर्ति तथा स्थापना कार्य का भुगतान मै0 बी0 के0 विल्डर्स एण्ड सप्लायर्स को बड़ी मात्रा में किये गये थे। इन कार्यों में प्राप्त कुल 03 टेण्डर निम्नवत थे :-

		प्रोप्राइटर	मोबाइल नम्बर
1.	बी0 के0 विल्डर्स एण्ड सप्लायर्स 347 सुशील नगर उरई	बी0 के0 दीक्षित	9839311702
2.	प्रखर इलेक्ट्रिकल्स उरई 688 सुशील नगर	नीलम दीक्षित पत्नी बी0 के0 दीक्षित	9125413102
3.	श्याम इलेक्ट्रिक वर्क्स इटावा	मुकेश	921955850

मै0 प्रखर इलेक्ट्रिकल्स उरई तथा मै0 बी0 के0 विल्डर्स एण्ड सप्लायर्स उरई को किये गये भुगतान का विवरण निम्नवत है :-

वा0 सं0	दिनांक	बिल धनराशि	कार्य/विवरण
85	10.02.16	7364523.00	05 स्थानों पर 20 मीटर हाई मास्क लाइट की स्थापना कार्य
39	12.04.16	7197884.00	05 स्थानों पर 20 मीटर हाई मास्क लाइट की स्थापना कार्य
140	28.06.16	10309056.00	05 स्थानों पर 30 मीटर हाई मास्क लाइट आपूर्ति तथा स्थापना कार्य

मै0 प्रखर इले0 उरई

वा0 सं0	दिनांक	बिल धनराशि	कार्य/विवरण
01	01.10.15	6500000.00	सोडियम लाइट की आपूर्ति
101	18.12.15	4151250.00	एल0 ई0 डी0 60 वाट,90 वाट 150 वाट की आपूर्ति
47,48	07.01.16	3888758.00	एल0 ई0 डी0 60 वाट,90 वाट 150 वाट की आपूर्ति
		6180000.00	
83,84	10.02.16	— तदैव —	एल0 ई0 डी0 60 वाट,90 वाट 150 वाट की आपूर्ति

इस प्रकार इन दोनों फर्मों में बड़े-बड़े भुगतान किये गये थे। उल्लेखनीय है कि दोनों फर्म पति-पत्नी की थी। वास्तविक प्रोप्राइटर दोनों फर्मों का रजिस्ट्रेशन कराकर टेण्डर भरकर अनियमितता की गयी थी। इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण क़य में टेण्डर की शर्तें पूरी नहीं हो रही थी। यह गम्भीर रूप से आपत्तिजनक था।

(12) विद्युत पोल तथा लाइट सामग्री की आपूर्ति तथा स्थापना कार्य में ठेकेदार मै0 श्याम इलेक्ट्रिक वर्क्स इटावा को वैट 10 प्रतिशत रू0 75,035.00 का अनियमित एवं अधिक भुगतान तथा निर्धारित दर के स्टैम्प पर अनुबन्ध न कराये जाने से रू0 5150.00 राजस्व क्षति :- व्यय प्रमाणक सं0 149 दिनांक 22.12.2015 द्वारा रू0 750348.00 का भुगतान आपूर्ति कर्ता विद्युत सामग्री ठेकेदार मै0 श्याम इलेक्ट्रिक वर्क्स रामगंज चौराहा इटावा को किया गया था।

क़य पत्रावली की जाँच में देखा गया कि काली वाहन मन्दिर डिवाइडर मार्ग पर मंदिर गेट से ग्वालियर रोड तक 10 विद्युत पोल तथा लाइट सामग्री आपूर्ति एवं स्थापना कार्य में प्राप्त 03 निविदाओं में न्यूनतम निविदा मै0 श्याम इलेक्ट्रिक वर्क्स की स्वीकृति की गयी थी जिसमें पोल तथा अन्य सामग्री की पृथक-पृथक दरें दी गयी थी तथा वैट 14 प्रतिशत अतिरिक्त देय था। नियमानुसार बिल में सामग्री की दरें निविदा के अनुसार अंकित कर वैट 14 प्रतिशत पृथक से जोड़ा जाना चाहिए था, परन्तु बिल में प्रत्येक सामग्री की दर टेण्डर के अनुसार न अंकित कर 14 प्रतिशत वैट जोड़कर अंकित की गयी थी। बिल में वैट पृथक से नहीं जोड़ा गया था। यह व्यापार कर के नियमों के विपरीत था, जिससे ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया था। देयक से वैट की कटौती 4 प्रतिशत की दर से की गयी थी जबकि 14 प्रतिशत की दर से की जानी चाहिए थी। इस प्रकार बिल धनराशि रू0 750348.00 पर 10 प्रतिशत की दर से रू0 75035.00 अधिक भुगतान ठेकेदार को किया गया था। इसे वसूल कर जमा कराया जाय।

(2) 10 प्रतिशत जमानत धनराशि रू0 75000.00 पर स्टैम्प रू0 70.00 प्रति हजार की दर से रू0 5250.00 के देय थे परन्तु मात्र 100.00 के स्टैम्प लगाये गये थे। इस प्रकार रू0 5150.00 के कम स्टैम्प लगाये गये थे जिससे राजकीय राजस्व की क्षति हुई थी इसकी उत्तरदायी से प्रतिपूर्ति करायी जाय। आपूर्ति तथा स्थापना कार्य में रू0 100.00 का स्टैम्प मान्य नहीं था। स्टैम्प पूर्ण दर पर लगाये जाने चाहिए थे।

(3) कार्य हेतु मात्र रू0 15000.00 जमानत जमा थी, जबकि रू0 75000.00 जमानत जमा होनी चाहिए थी।

(13) संगठित विकास योजना की दुकान किराया मॉग वसूली पंजिका में नाम परिवर्तन किया जाना तथा किराया दर एवं अवशेष कम किया जाना :- संगठित विकास योजना के अन्तर्गत अनुरक्षित मॉग वसूली पंजिका के पृष्ठ संख्या 67 पर कन्वेनियेन्ट 2114 सं0 4 श्री शिवराम सिंह पुत्र भिजाजी लाल के नाम रू0 450.00 प्रतिमाह पर अंकित थी। इसमें गत वर्ष का बकाया रू0 23100.00 तथा वर्तमान मॉग रू0 5400.00 सहित कुल मॉग रू0 28500.00 अंकित थी।

आलोच्य वर्ष में इसमें कटिंग कर दुकान श्री बृजेश कुमार पुत्र राम प्रकाश यादव के नाम अंकित कर दी गयी थी तथा किराया घटाकर रू0 350.00 प्रतिमाह सितम्बर 2009 से करते हुए बकाया रू0 19800.00 वर्तमान वर्ष की मॉग रू0 4200.00 तथा कुल मॉग रू0 24000.00 कर दी गयी थी तथा इस धनराशि को वसूलकर अवशेष शून्य अंकित कर दिया गया था। टिप्पणी में नाम परिवर्तन अध्यक्ष महोदय के आदेश 10.09.2009 द्वारा करना दर्शाया गया था। वर्ष 2009 के आदेश के आधार पर 6 वर्ष बाद आलोच्य वर्ष 2015-16 में नाम परिवर्तन करने, किराया दर तथा अवशेष कम करने का कारण पत्रावली प्रस्तुत कर स्पष्ट किया जाय। नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में नियमावली प्रस्तुत की जाय।

नियमानुसार नाम परिवर्तन करने पर कम्पाउन्ड शुल्क वसूलने तथा किराया में दोगुना वृद्धि करने की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। नाम में परिवर्तन हेतु बोर्ड प्रस्ताव आवश्यक था। ऐसा न कर मनमाने ढंग से नाम परिवर्तन कर पालिका को क्षति पहुँचाई गयी थी। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(14) दुकान की मॉग समाप्त कर पालिका को क्षति पहुँचाया जाना :- (संगठित विकास योजना :- दुकान किराया की मॉग वसूली पंजी की जॉच में देखा गया कि पृष्ठ 5 क्रम सं0-16 तथा 17 पर दुकान संख्या-बी-6/1 तथा बी-6/2 श्रीमती ममता जैन पत्नी नीरज जैन के नाम क्रमशः रू0 350.00 तथा रू0 550.00 प्रतिमाह किराये पर अंकित थी, परन्तु 2015-16 में इसी पंजिका के पृष्ठ सं0-54 पर दोनों दुकान को एक साथ क्रमांक-16 पर अंकित कर मॉग एक दुकान का किराया रू0 550.00 अंकित किया गया था। गत वर्ष में टिप्पणी अंकित थी कि आदेश दिनांक 24.07.2014 द्वारा दुकान सं0-बी-6/2 की डिमान्ड बी-6 में समायोजित की गयी तथा कुल मॉग रू0 16200+23400= रू0 39600.00 के स्थान पर रू0 25800.00 जमा कर अवशेष शून्य कर दिया गया था। इस प्रकार रू0 13800.00 कम किराया जमा कर तथा वर्ष 2015-16 में रू0 350.00 प्रतिमाह किराये की क्षति पहुँचाई गयी थी। इसे स्पष्ट किया जाय तथा इसकी पत्रावली प्रस्तुत की जाय। बकाया किराया रू0 13800.00 जमा किया जाय तथा दुकान सं0-बी-6/2 की मॉग आरोपित कर वसूली की जाय।

(15) वाहन की पत्रावली तथा वाहन पंजिकायें सम्परीक्षा में अप्रस्तुत :- (1) व्यय प्रमाणक सं0-25 दिनांक 04.02.2016 द्वारा 22 बिलों का भुगतान रू0 187363.00 मै0 मॉ पीताम्बरा ट्रेडर्स इटावा को पालिका के विभिन्न वाहनों की मरम्मत हेतु किया गया था। जॉच हेतु वाहनों की पत्रावली तथा वाहन पंजिकायें सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे इनकी मरम्मत/सर्विस कराये जाने की औचित्य की जॉच नहीं की जा सकी। इन्हें प्रस्तुत किया जाय।

(2) वाहनों की मरम्मत/सर्विस सड़क परिवहन विभाग से मान्यता प्राप्त गैराज से करायी जानी थी, परन्तु इसे ठेकेदार के माध्यम से कराया गया था। गैराज का बिल न होने से सर्विस/मरम्मत की पुष्टि नहीं होती।

(3) बिल मुख्य सफाई निरीक्षक द्वारा सत्यापित किये गये थे। इन पर सम्बन्धित वाहन चालक द्वारा कार्य होने तथा इसके संतोषजनक होने की पुष्टि नहीं की गयी थी जिससे वाहन में सम्बन्धित सामग्री लगाये जाने की पुष्टि नहीं होती।

(4) वाहन पंजिका अनुरक्षित न किये जाने से इसकी पिछली मरम्मत तथा कार्य/सामग्री के इतिहास की जानकारी नहीं हो सकी। इससे इसके दुरुपयोग की सम्भावना थी। इसे अनुरक्षित कर दिखाया जाय।

(5) कुल 22 बिलों में क्रमांक 1 से 5 तक के बिल दिनांक 05.11.2015, क्रमांक 6 पर अंकित रिक्सा मरम्मत बिल दिनांक 04.01.2015 का क्रमांक-7 से 22 तक के बिल दिनांक 23.01.2016 के थे। एक ही दिनांक में इतने वाहनों की मरम्मत सम्भव नहीं थी।

(6) मान्यता प्राप्त गैराज/सर्विस सेन्टर से मरम्मत/सर्विस न कराये जाने का कारण स्पष्ट किया जाय।

(7) वाहन में लगाये गये सामान/सामग्री का बिल अधिकृत विक्रेता का नहीं था। ब्राण्ड अंकित नहीं था।

(8) सर्विस के दौरान नये पार्टस तथा आयल चेज किया गया था। पुराने आयल तथा पार्टस की वापसी दर्शायी गयी थी।

(9) वाहन मरम्मत/सर्विस के बिल परिवहन विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं थे, जिसके अभाव में भुगतान अमान्य था।

(10) एक ही दिनांक में एक ही वाहन हेतु अलग-अलग कार्य के दो बिल लगे थे। इसका औचित्य स्पष्ट किया जाय। उदाहरणार्थ क्रमांक 7 व 8 पर सीवर जेटिंग टैंक की मरम्मत क्रमशः ₹0 16085.00 एवं ₹0 7045.00 क्रमांक-12 तथा 16 हाइड्रोलिक सीढ़ी मरम्मत क्रमशः ₹0 3215.00 एवं 14720.00 ट्रैक्टर-4455 की मरम्मत क्रमांक 14 तथा 20 क्रमशः ₹0 18204.00 एवं ₹0 8910.00 के लगे थे।

(16) आराजी किराया मॉग वसूली पंजिका में पायी गयी अनियमिततायें :- आराजी मॉग वसूली पंजिका की जाँच में देखा गया कि इसमें अनेक सम्पत्तियों की पैमाइश तथा किराया दर अंकित नहीं थी और न ही कोई धनराशि बकाया के रूप में दर्शायी गयी थी। मॉग अंकित नहीं थी तथा इसकी वसूली भी नहीं हो रही थी। उदाहरणार्थ :-

आराजी का नाम	पृष्ठ संख्या	सम्पत्ति क्रमांक
किला विचार सभा आदि	2 तथा 3	1 से 8 तक
पक्का तालाबा	7	28, 31, 32
	8	34, 35, 37 बी
	13	34, 65, 66, 67, 68, 69
	14	71, 72
	15	76, 77
टिक्सी मन्दिर	16	1, 4, 5, 6, 7, 8
सदर अस्पताल	17	3, 4, 5
	18	7, 11, 12
	19, 20, 21	13, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 30
	22, 23, 24	33, 34, 36, 39, 40, 43
रेलवे रोड	25, 26, 27, 28	3, 4अ, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 22, 23
	29, 30	2, 4, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34
डीमलैण्ड आराजी	31, 32, 33	1 से 9, 13, 14
क्वार्टर हरिजन कालोनी	34 से 38	1 से 30 तक सभी
आराजी खोखा पुलकहारन	39 से 43	1 से 26 तक मॉग निरस्त

किराया की मॉग आरोपित न करना मॉग निरस्त करना, बकाया की वसूली न करना अनियमित तथा पालिका को क्षति पहुँचाने वाला था। इससे पालिका को क्षति हो रही थी। अतः सभी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाय तथा पंजिका पूर्ण कर दिखायी जाय।

(17) खाद्य पदार्थ लाइसेन्स पंजिका में पायी गयी अनियमिततायें :- (1) खाद्य पदार्थ लाइसेन्स पंजिका की जाँच में देखा गया कि आलोच्य वर्ष में 382 लाइसेन्स ₹0 10.00 प्रत्येक की दर से बनाये गये थे। गत वर्ष की पंजिका सम्परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने से इसका मिलान नहीं किया जा सका। इसे प्रस्तुत किया जाय।

(2) पंजिका में वार्ड वाइज लाइसेन्सों का अंकन नहीं किया गया था। जिससे अनेक लाइसेन्सों के छूटने की सम्भावना थी। इसे कम में वार्ड वाइज अंकित किया जाय।

(3) लाइसेन्सों का सर्वे नहीं किया गया था। नगर क्षेत्र को देखते हुए खाद्य पदार्थ लाइसेन्सों की संख्या अत्यधिक कम थी। अतः सर्वे कराकर समस्त लाइसेन्स बनाने की कार्यवाही अपेक्षित है।

(18) निर्माण पत्रावलियों में कान्ट्रेक्टर बिल की प्रति संलग्न न किया जाना :- निर्माण पत्रावलियों की जाँच में देखा गया कि इनमें भुगतान किये गये कान्ट्रेक्टर बिल की छाया प्रति संलग्न नहीं की गयी थी जिससे पत्रावलियों की जाँच के समय माप पुस्तिका में दर्शाये गये लागत वर्गीकरण की जाँच/मिलान भुगतान देयक से नहीं किया जा सका। इन्हें पत्रावली में संलग्न किया जाय।

(19) ठेकेदारों की जमानत पंजिका अप्रस्तुत :- सम्परीक्षा में माँग किये जाने पर ठेकेदारों की जमानत पंजिका प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे पत्रावलियों में जमा दर्शित की गयी अर्नेस्ट मनी तथा बिलों से कटौती की गयी जमानत के जमा तथा इसकी वापसी की जाँच नहीं की जा सकी। इसे सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

(20) ठेकेदार पंजीकरण पंजिका अप्रस्तुत :- सम्परीक्षा में पालिका में पंजीकृत ठेकेदारों की पंजिका तथा पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इसे प्रस्तुत किया जाय, जिससे इसका मिलान किया जा सके।

(21) तेरहवों वित्त आयोग से उ० प्र० जल निगम को हस्तान्तरित धनराशि से सम्बन्धित अभिलेख अप्रस्तुत :- आलोच्य वर्ष में तेरहवों वित्त आयोग की रोकड़बही की जाँच से स्पष्ट हुआ कि निम्नांकित धनराशियों परियोजना प्रबन्धक, कान्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज उ० प्र० जल निगम इटावा को नाला निर्माण हेतु अन्तरित दर्शायी गयी थी।:-

चैक संख्या	वा० संख्या	दिनांक	धनराशि
085026	01	18.11.15	10000000.00
085034	06	29.03.16	10151000.00
		योग	20151000.00

गत वर्ष भी चैक सं०- 084985 दिनांक 18.10.14 द्वारा भी रू० 14699000.00 धनराशि अन्तरित की गयी थी। इससे सम्बन्धित पत्रावली तथा उपभोग लेखा प्रस्तुत किया जाय।

(22) गृहकर, जलकर एवं जलमूल्य की माँग एवं समाहरण पंजिकाएँ अपूर्ण :- गृहकर, जलकर एवं जलमूल्य की माँग समाहरण पंजिकाओं की जाँच में देखा गया कि इन पंजिकाओं में वर्ष के अन्त में अवशेष/बकाया अंकित नहीं किये गये थे और न ही गत बकाया वर्तमान माँग, कुल माँग का योग वर्ष में वसूली आदि के पृष्ठ वाइज, मोहल्ला/वार्डवार योग कर वार्षिक गौसवारा बनाया गया था। गत वर्ष 2014-15 में भी यही स्थिति थी, जिससे गृहकर, जलकर एवं जलमूल्य के माँग एवं समाहरण तथा बकाया की स्थिति अज्ञात रही। पंजिकाएँ अपूर्ण रहने का कारण स्टाफ की कमी बताया गया जबकि आउट सोर्सिंग पर अनेक कर्मचारी इस अनुभाग में कार्यरत हैं। यह स्थिति पालिकाके हितों के विपरीत थी। अतः उक्त पंजिकाएँ पूर्ण कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(23) अनुदान पंजिका अनुरक्षित न किया जाना :- पालिका द्वारा राज्य वित्त आयोग, अवस्थापना, तथा 13 वें वित्त आयोग से सम्बन्धित अनुदान पंजिका अनुरक्षित नहीं की गयी थी। जिससे इनके उपभोग तथा अवशेष की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। इसे अनुरक्षित किया जाय।

(ख) हानि, अपव्यय, दुरुपयोग अनियमित व्यय एवं अधिक भुगतान से सम्बन्धित प्रकरण :-

(1) निर्माण कार्य तृतीय/अन्तिम देयक में पूर्व में भुगतान किये गये द्वितीय बिल की धनराशि कम घटाये जाने से रू० 1,29,719.00 का अधिक भुगतान व्यय प्रमाणक संख्या- 2 दिनांक 14.12.2015 ठेकेदार मो० ऐम वर्क्स (अवस्थापना निधि) :- मो० गाँधी नगर में वीणा वादिनी स्कूल के पास लाल राम से श्री राम, श्री चन्द्र से विशम्भर तक तथा राम के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य की पत्रावली की जाँच में देखा गया कि इसके तृतीय/अन्तिम देयक रू० 1580392.60 में पूर्व में भुगतान किये गये द्वितीय देयक की धनराशि रू० 894617.60 घटाई गयी थी जबकि द्वितीय बिल में भुगतान रू० 1024336.00 किया गया था। इस प्रकार अन्तिम देयक में रू० 1024336-894617= रू० 129719.00 का अधिक भुगतान किया गया था। यह स्थिति गम्भीर रूप से आपत्ति जनक थी। अधिक भुगतान की उत्तरदायी से प्रतिपूर्ति करायी जाय।

(2) काली वाहन मन्दिर पर विद्युत पोल की आपूर्ति तथा स्थापना कार्य में रू० 34,066.00 का अधिक भुगतान (मै० श्याम इलेक्ट्रिक वर्क्स इटावा) :- काली वाहन मन्दिर पर विद्युत पोल की आपूर्ति तथा स्थापना कार्य की पत्रावली/भुगतान की जाँच में देखा गया कि बिल धनराशि रू० 750348.00 में आयकर रू० 17033.00 तथा व्यापार कर रू० 30014.00 की कटौती के उपरान्त ठेकेदार को देय भुगतान रू० 703301.00 के स्थान पर रू० 737367.00 का भुगतान चैक सं०-086868 दिनांक 22.12.2015 द्वारा किया गया था। इस प्रकार रू० 737367-703301= रू० 34066.00 का अधिक भुगतान किया गया था। इससे स्पष्ट था लेखा विभाग द्वारा भुगतान की जाँच उचित प्रकार से नहीं की जाती है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए अधिक भुगतान की वापसी उत्तरदायी से करायी जाय।

(3) 20 मीटर हाई मास्ट लाइट स्थापना कार्य में तार आपूर्ति में अधिक भुगतान रू० 2,22,525.00 मै० बी० के विल्डर्स एण्ड सप्लायर्स उरई :- 05 स्थानों पर 20 मीटर हाई मास्ट लाइट आपूर्ति तथा अवस्थापना कार्य की पत्रावली की जाँच में देखा गया कि आगणन में प्रति पोल 100 मीटर तार का आगणन किया गया था।

मापपुस्तिका के पृष्ठ सं०-3 पर प्रथम चालू बिल की माप में 100 मीटर 16 एम एम 04 कोयर केबिल डी० एम० चौराहा पर दर्शाया गया था। इसके उपरान्त माल गोदाम बस, स्टैंड तथा पक्का बाग तिराहा पर 03 पोलो हेतु 185 मीटर केबिल की माप अंकित की गयी थी। इस प्रकार 04 पोल पर कुल 285 मीटर केबिल का प्रयोग दर्शाया गया था। इसके उपरान्त तृतीय/अन्तिम देयक में पॉचवे पोल एस० एस० पी चौराहा पर निम्नवत माप पुस्तिका पर 315 मीटर तार हेतु भरी गयी थी :

1×3×30=90 मीटर	डी० एम० चौराहा की माप
1×1×10=10 मीटर	
1×7×30=210 मीटर	अतिरिक्त माप
1×1×05=5 मीटर	

इस प्रकार 215 मीटर केबिल अतिरिक्त दर्शाकर रू० 222525.00 का अधिक भुगतान किया गया था। इसकी वसूली उत्तरदायी से करायी जाय।

215 मीटर केबिल की लागत निम्नवत थी -

215 की दर रू० 900/- प्रति मी० की दर = रू० 193500.00	
+ 1वैट 14 प्रतिशत	27090.00
+ सेस 1 प्रतिशत	1935.00
योग	<u>222525.00</u>

(4) अवस्थापना निधि से कराये गये निर्माण कार्य मो० कालिन्दीपुरम में टिक्सी मन्दिर के पास अरविन्द कुमार वाली गली में इण्टरलाकिंग सड़क व स्लैब निर्माण में टेण्डर दर से अधिक दर पर भुगतान किये जाने के फलस्वरूप अधिक भुगतान रू० 3260.34 :- व्यय प्रमाणक संख्या 03 दिनांक 23.10.2015 द्वारा रू० 724175.00 का भुगतान मै० जितेन्द्र कुमार ट्रेडर्स ठेकेदार को मो० कालिन्दीपुरम में टिक्सी मन्दिर के पास अरविन्द कुमार वाली गली में इण्टरलाकिंग सड़क व स्लैब निर्माण हेतु किया गया था। पत्रावली की जाँच में देखा गया कि आगणन धनांक रू० 725377.00 कार्य हेतु प्राप्त 03 टेण्डर में न्यूनतम टेण्डर मै० जितेन्द्र कुमार ट्रेडर्स की दरे इस्टीमेट से 0.5 प्रतिशत (आधा प्रतिशत) कम रू० 721750.00 का स्वीकृति किया गया था परन्तु देयक रू० 724520.00 में मात्र 0.05 प्रतिशत अर्थात् रू० 362.26 घटाया गया था जबकि 0.5 प्रतिशत की धनराशि रू० 3622.60 घटाया जाना चाहिए था। इस प्रकार रू० 3622.60-362.26 = रू० 3260.34 का अधिक भुगतान किया गया था। अतः अधिक भुगतान की वसूली कर दिखायी जाय।

(5) अवस्थापना निधि से कराये गये निर्माण कार्य मो० आजाद नगर में कालपी सरकुलर रोड तक ज्योति गोयल से नफीस बेग के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य में मद सं०-2 का उच्च दर पर भुगतान किये जाने के कारण रू० 1,22,667.00 का अनियमित एवं अधिक भुगतान :- मो० आजाद नगर में कालपरी सरकुलर रोड पर ज्योति गोयल से नफीस बेग के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क के निर्माण कार्य की निविदा श्रीमती कनीजा बेगम ठेकेदार की आगणन दर पर धनांक रू० 1658800.00 दिनांक 13.07.2015 द्वारा स्वीकृति की गयी थी। प्रथम एवं अन्तिम देयक का भुगतान चैक सं०-076732 व्यय प्रमाणक सं०-01 दिनांक 01.01.2016 द्वारा रू० 1504544.00 का भुगतान ठेकेदार को किया गया था। पत्रावली एवं देयक की जाँच में पाया गया कि मद सं०-2, पी०/एल० स्प्रेडिंग एण्ड काम्पैक्टिंग स्टोन (स्प्रेडिंग लेइंग एण्ड स्प्रेडेडिंग एण्ड काम्पैक्टिंग स्टोन) मात्रा 119-21 घनमीटर दर रू० 3404.00 प्रति घनमीटर की दर से रू० 405790.84 का भुगतान दर्शाया गया था, जबकि दैनिक जागरण अंक दिनांक 21.06.2015 में इसी तरह के कार्य हेतु दिनांक 10.07.2015 तक आमंत्रित निविदाओं में अवस्थापना निधि के अन्तर्गत निर्माण कार्य क्रमांक 1 से 9 तक 15, 16, 20 एवं 21 से 25 तक इसी तरह के कार्य हेतु रू० 2375.00 प्रतिघन मीटर की दर से आगणन एवं देयकों को भुगतान किया गया था। इस प्रकार रू०- 3404-2375= रू० 1029.00 प्रति घन मीटर मद सं०-2 को अधिक भुगतान किया गया था। स्टीमेट भी इस कार्य हेतु उच्च दर पर बनाया गया था, जो आपत्तिजनक था। मद सं०-2 हेतु 119.21 घनमीटर दर रू० 1029.00 प्रति घन मीटर = रू० 122667.00 का अनियमित एवं अधिक भुगतान किया गया था, जिसकी उत्तरदायी से प्रतिपूर्ति करायी जाय।

(6) अवस्थापना निधि से कराये गये निर्माण कार्य मो0 कटरा साहब खॉ में तैमुरी वाली गली में गुलाम वारिश अल्टाफ एवं राजू वाली गली में इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य में बिना इस्टीमेट के एक्स कार्टेज आफ हेड लोड के रूप में रू0 16,830.00 का अनियमित एवं अधिक भुगतान :- पत्रापली/मापपुस्तिका की जाँच से स्पष्ट हुआ कि मो0 कटरा में तैमुरी वाली गली में गुलाम वारिश अल्टाफ एवं राजू वाली गली में इण्टरलाकिंग सड़क कार्य की निविदा श्री राजेश सक्सेना ठेकेदार की 4 प्रतिशत उच्च दर पर रू0 1015768.00 की दिनांक 11.11.2014 द्वारा स्वीकृति की गयी थी। द्वितीय एवं अन्तिम देयक रू0 56509.00 का भुगतान चैक सं0-997017 व्यय प्रमाणक सं0-04 दिनांक 28.08.2015 द्वारा ठेकेदार को किया गया था। देयक में मद सं0-8 एक्स कार्टेज आफ हेड लोड मात्र 187 घनमीटर दर रू0 90.00 प्रति घनमीटर की दर से रू0 16830.00 किया गया था, जबकि इस्टीमेट में इस मद हेतु कोई प्राविधान नहीं था तथा सड़क की चौड़ाई दो मीटर से अधिक थी। अतः हेडलोड पर किया गया भुगतान अनियमित एवं आपत्तिजनक था। इस धनराशि की प्रतिपूर्ति उत्तरदायी से करायी जाय।

(7) अवस्थापना निधि से कराये गये निर्माण कार्य मो0 मुन्नी का अड्डा में होरीलाल के मकान से गुलाबसिंह, श्री राम के मकान से बदन सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क/नाली निर्माण कार्य में एक्स कार्टेज आफ हेडलोड के रूप में रू0 1,06,158.00 का अनियमित एवं अधिक भुगतान :- पत्रावली एवं मापपुस्तिका की जाँच से स्पष्ट हुआ कि उक्त कार्य की निविदा श्रीमती कनीजा बेगम की आगणन दर पर धनांक रू0 1596900.00 की दिनांक 13.07.2015 को स्वीकृति की गयी थी। प्रथम एवं अन्तिम देयक रू0 1257201.00 का भुगतान चैक संख्या- 997030 व्यय प्रमाणक संख्या-5 दिनांक 25.01.2016 द्वारा किया गया था। देयक में एक्स कार्टेज आफ हेडलोड 1179 घनमीटर दर रू0 90.00 प्रति घनमीटर की दर से रू0 106157.70 का भुगतान किया गया था जबकि इस्टीमेट में इस 8 फुट चौड़ी सड़क हेतु इस मद हेतु कोई प्राविधान नहीं था न ही इसका कोई औचित्य था। अतः हेड लोड मद पर किया गया भुगतान रू0 106157.70 अनियमित एवं आपत्तिजनक था। इस अनियमित एवं अधिक भुगतान की उत्तरदायी से वापसी सुनिश्चित की जाय।

(8) 13 वॉ वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से कराये गये निर्माण कार्य चौकी शमशेरी बाल्मीक बस्ती में राम औतार के मकान के पास आर0 सी0 सी0 नाला निर्माण में बिना इस्टीमेट में प्राविधान के हेडलोड के रूप में रू0 15000.00 का अनियमित एवं अधिक भुगतान :- पत्रावली एवं मापपुस्तिका की जाँच से स्पष्ट हुआ कि चौकी शमशेरी बाल्मीक बस्ती में राम औतार के मकान के पास आर0 सी0 सी0 नाला निर्माण की निविदा 0.02 प्रतिशत निम्न पर धनांक रू0 455508.00 की दिनांक 20.11.2015 द्वारा ठेकेदार धर्मेन्द्र मिश्रा की स्वीकृति की गयी थी। उक्त निर्माण कार्य के प्रथम/अन्तिम देयक का भुगतान चैक सं0-085036 व्यय प्रमाणक संख्या 08 दिनांक 29.03.2016 द्वारा रू0 417690.00 का भुगतान ठेकेदार को किया गया था। देयक में मद सं0-10 एक्स कार्टेज आफ हेडलोड 01 जाव का रू0 15000.00 का भुगतान दर्शाया गया था जबकि इस्टीमेट में इस मद हेतु कोई प्राविधान नहीं था। अतः हेडलोड मद पर किया गया भुगतान अनियमित एवं आपत्तिजनक था। इस अधिक भुगतान की उत्तरदायी से प्रतिपूर्ति करायी जाय।

(9) मात्र एक निविदा के आधार पर उच्च दर से निविदा स्वीकृति कर कार्य कराने से रू0 1,00,000.00 की क्षति :- अवस्थापना निधि से कराये गये कार्य सुमेरसिंह किले के पास पुलिस चौकी से त्रिपाठी जी के मकान तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य का भुगतान व्यय प्रमाणक सं0 214 दिनांक 22.05.2015 द्वारा रू0 2010270.00 का भुगतान ठेकेदार शिवरंजन दीक्षित को किया गया था। पत्रावली की जाँच में निम्नांकित अनियमिततायें प्रकाश में आयी :-

(1) कार्य का आगणन रू0 1434300.00 का तैयार किया गया था, जिसका कार्यादेश दिनांक 12.11.14 को 5 प्रतिशत उच्च पर स्वीकृति निविदा हेतु जारी किया गया था। अनुबन्ध पत्र में अंकित अर्नेस्ट मनी 10 प्रतिशत के रूप में ठेकेदार द्वारा रू0 138000.00 तथा रू0 20000.00 की एफ0 डी0 आर0 पी0 एन0 बी0 बैंक की संख्या-7223 दिनांक 05.08.2013 तथा संख्या-9197 दिनांक 28.12.13 कुल रू0 158000.00 की दर्शायी गयी थी। पत्रावली में एफ0 डी0 आर0 अथवा इसकी छायाप्रति संलग्न नहीं थी जिससे इसकी वैधता अवधि की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(2) कार्य हेतु मात्र 03 निविदायें प्राप्त दर्शायी गयी थी, जिसमें अन्य दो निविदायें मै0 अजय कुमार ठेकेदार तथा मै0 सफी उल्लाह खॉ की थी। अजय कुमार की अर्नेस्टमनी एफ0 डी0 आर0 सं0 33412948793 रू0 145000.00 दिनांक 29.10.13 से 29.10.14 की स्टेट बैंक की थी। निविदा दिनांक 30.10.14 को यह

अमान्य थी। इस प्रकार अन्य ठेकेदार सफी उल्लाह खॉ की अर्नेस्ट मनी भारतीय स्टेट बैंक की एफ0 डी0 आर0 सं0-33189290596 रू0 82000.00 दिनांक 08.08.2013 से 08.08.2014 तक के लिए थी। जो अमान्य थी(कालातीत)। अतः यह दोनों टेण्डर अवैध/अमान्य थे। मात्र एक टेण्डर के आधार पर कार्यादेश मनमाने तौरके से उच्च दर पर दिया गया था, जिससे पालिका को 5 प्रतिशत के रूप में स्पष्ट क्षति हुई थी।

(3) श्रीमती नीलम दुबे सभासद के पत्र दिनांक 04.12.14 द्वारा श्री त्रिपाठी के मकान से शमशान घाट रोड तक 80 मीटर तथा खटखटा बाबा आश्रम के पीछे नरसिंह भगवान के मन्दिर तक 30 मीटर अतिरिक्त कार्य कराने का अनुरोध अध्यक्ष महोदय से किया गया था जिस पर अवर अभियन्ता द्वारा संशोधित इस्टीमेट रू0 2033200.00 का बनाया गया था, परन्तु इसका कोई मानदेय निर्गत नहीं किया गया था और न ही इसकी जमानत जमा करायी गयी थी। बिल से भी इसकी कटौती नहीं की गयी थी।

(4) उक्त के अतिरिक्त कार्य हेतु अनुरोध दिनांक 04.12.2014 को किया गया था, परन्तु ठेकेदार द्वारा इस अतिरिक्त कार्य में मिट्टी की भरायी कार्य इससे पहले ही कर दिया गया था, जिसकी माप पुस्तिका दिनांक 20.11.2014 दिनांक 23.11.2014 तथा 27.11.2014 को भरी गयी थी तथा नोट शीट के क्रमांक 4 पर इसकी कार्योत्तर स्वीकृति दिनांक 05.12.2014 को मॉगी गयी थी। इस नोट शीट में अतिरिक्त कार्य रू0 598900.00 राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से कराये जाने का उल्लेख था। अधिक मात्रा में बढ़ा हुआ कार्य बिना बोर्ड की स्वीकृति के अमान्य था।

(5) इस्टीमेट में मिट्टी कार्य 189 मीटर लम्बाई में 1021-6 वर्ग मीटर में 515 घनमीटर था, जबकि मापपुस्तिका में बढ़े हुए कार्य के बाद भी मात्र 521 घनमीटर थी। इससे स्पष्ट था मिट्टी के कार्य का इस्टीमेट अत्यधिक बढ़ाकर तथा काल्पनिक बनाया गया था जबकि कार्य की लम्बाई 189 मीटर के स्थान पर 307.65 मीटर हो गयी थी। इण्टरलाकिंग कार्य 935 वर्ग मीटर के स्थान पर 1299.29 वर्ग मीटर हो गया था।

(10) मात्र एक टेण्डर के आधार पर अनियमित ढंग से ठेका स्वीकृति किया जाना :- अवस्थापना निधि से कराये गये निर्माण कार्य एी0 ए0 सी0 बटालियन के सामने बलवीर सिंह स्टोनों वाली गली में इण्टरलाकिंग टाइल्स सड़क तथा नाली निर्माण का भुगतान व्यय प्रमाणक संख्या 44 दिनांक 18.06.2015 द्वारा रू0 928487.00 का भुगतान ठेकेदार मै0 आर0 बी0 इण्टर प्राइजेज को किया गया था। पत्रावली की जाँच में निम्नलिखित अनियमिततायें प्रकाश में आयी -

इस कार्य हेतु निम्नांकित 04 टेण्डर प्राप्त हुए थे :-

1.	मै0 अजय कुमार ठेकेदार	आगणन से 6.01 प्रतिशत अधिक
2.	मै0 साई कान्सट्रक्शन	आगणन से 10 प्रतिशत अधिक
3.	मै0 शिव रंजन दीक्षित	दरें अधिक नहीं
4.	मै0 आर0 बी0 इण्टर प्राइजेज	आगणन से 0.04 प्रतिशत कम

ठेका क्रमांक 4 पर अंकित मै0 आर0 बी0 इण्टर प्राइजेज को स्वीकृति किया गया था। ठेका शर्तों के अनुसार टेण्डर के साथ 10 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी जमा की जानी थी। इस प्रकार इस्टीमेट धनराशि रू0 881500.00 पर रू0 88150.00 अर्नेस्टमनी जमा होने पर ही टेण्डर मान्य था, परन्तु देखा गया कि मै0 बी0 आर0 इण्टर प्राइजेज द्वारा रू0 88200.00 की बैंक एफ0 डी0 आर0 विजय बैंक सं0-136765 दिनांक 29.10.2014 का विवरण तुलनात्मक स्टेटमेट तथा अनुबन्ध में दर्शाया गया था। हएफ0 डी0 आर0 की छायाप्रति पत्रावली में संलग्न नहीं थी। अन्य टेण्डर दाताओं द्वारा अर्नेस्ट मनी जमा का उल्लेख फार्म अथवा तुलनात्मक विवरण नहीं था। इस हप्रकार प्राप्त अन्य 03 टेण्डर अवैध/अमान्य थे तथा टेण्डर की शर्तें पूरी नहीं कर रहे थे। मात्र एक वैध टेण्डर था, जिसे स्वीकृति किया गया था। यह गम्भीर रूप से अनियमित एवं आपत्तिजनक था। इसे स्पष्ट किया जाय।

निर्गत कार्यादेश दिनांक 05.11.2014 के अनुसार कार्यावधि 60 दिन थी, परन्तु कार्य 160 दिन में समाप्त हुआ था। 100 दिन विलम्ब से कार्य पूर्ण पर रू0 50.00 प्रतिदिन की दर से रू0 5000.00 की कटौती बिल से नहीं की गयी थी। इसे वसूल कर दिखाया जाय।

(11) पार्क सौन्दर्यीकरण कार्य में ब्रिक वर्क एवं मिट्टी भराई अधिक दर्शाकर अधिक भुगतान किया जाना रू0 74,354+ रू0 2,96,934.00 = रू0 3,71,288.00(अवस्थापना निधि) :- वा0 सं0-01 दिनांक 22.03.2016 द्वारा प्रथम/अन्तिम देयक रू0 1372088.00 का भुगतान मै0 कमलादेवी ठेकेदार को पत्ता बाग फ्रेन्ड्स कालोनी में गाँधी आश्रम के पीछे एस0 के0 तिवारी, वीरबल, रवि के मकान के सामने पार्क का सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु

किया गया था। पत्रावली की जाँच में देखा गया कि पार्क की बाउन्ड्री की नीव में ब्रिक वर्क अनुमान के विरुद्ध माप पुस्तिका में की गयी फाउन्डेशन ब्रिक वर्क की पैमाइस में अत्यधिक अन्तर था -

अनुमान में दर्शित मात्रा	मापपुस्तिका में दर्शित मात्रा
$146.6 \times 0.58 \times 0.23 = 19.56$	$145.55 \times 0.58 \times 0.30 = 25.32$
$146.6 \times 0.46 \times 0.23 = 15.51$	$145.55 \times 0.46 \times 0.30 = 20.08$
$146.6 \times 0.35 \times 0.30 = 15.39$	$145.55 \times 0.35 \times 0.60 = 30.56$
$146.6 \times 0.23 \times 0.30 = 10.12$	
योग 60.58 घन मीटर	75.96 घनमीटर

इस प्रकार इस्टीमेट में कुल 1.06 मीटर ऊँचाई में नीव का ब्रिक वर्क था जिसमें 23 से० मी० चौड़ाई का वर्क 30 से० मी० ऊँचाई में था, परन्तु माप पुस्तिका में कुल ऊँचाई 1.20 मीटर कर दी गयी थी तथा 23 से० मी० चौड़ाई वाले ब्रिक वर्क को 35 से० मी० दर्शाया गया था, जिसमें कुल कार्य 75.96 घनमीटर- 60.14 घनमीटर = 15.82 घनमीटर अधिक दर्शाया गया था। वास्तविक कार्य निम्न हुआ था :-

$145.55 \times 0.58 \times 0.23$	19.416
$145.55 \times 0.46 \times 0.23$	15.399
$145.55 \times 0.35 \times 0.30$	15.283
$145.55 \times 0.23 \times 0.30$	10.043
योग	60.141

ठेकेदार द्वारा इस्टीमेट में दर्शाये गये ब्रिक वर्क से अधिक चौड़ाई या ऊँचाई में कार्य करने का औचित्य नहीं था। इस प्रकार इस कार्य में 15.82 घन मीटर $\times 4700 =$ रू० 74354.00 का स्पष्ट रूप से अधिक भुगतान किया गया था।

(2) उक्त कार्य की बाउन्ड्री निर्माण हेतु नीव 90 से० मी० गहराई में खोदाई दर्शायी गयी थी तथा इसमें बेस में ब्रिक बैलास्ट 15 से० मी० मोटाई में तथा नीव हेतु ब्रिक वर्क 1.20 मीटर ऊँचाई में किया गया था। इस प्रकार कुल कार्य 1.35 मीटर ऊँचाई में हुआ था। इससे स्पष्ट था कि नीव निर्माण का कार्य जमीन की सतह से 45 से० मी० (1.35-0.90) ऊँचाई तक ही था तथा मिटटी भराई अधिकतम 70 से० मी० ऊँचाई में किया गया था, परन्तु माप पुस्तिका में $1.95 + 1.98 / 2$ ऊँचाई में मिटटी भराई का कार्य दर्शाया गया था, जो सेटिलमेन्ट के उपरान्त भी 1.70 मीटर था। इस प्रकार 01 मीटर भराव काल्पनिक दर्शाया गया था, फलस्वरूप 1227 घनमीटर \times रू० 242 प्रतिघनमीटर की दर से रू० 296934.00 का अधिक भुगतान किया गया।

(12) फ्रेन्डस कालोनी में स्वतन्त्रता सेनानी पार्क सौन्दर्यीकरण में मिटटी भराई कार्य का अधिक भुगतान रू० 1,47,656.00 :- व्यय प्रमाणक संख्या 196 दिनांक 20.05.2015 द्वारा रू० 1330540.00 का भुगतान ठेकेदार अजय कुमार को फ्रेन्डस कालोनी में स्वतन्त्रता सेनानी पार्क के सौन्दर्यीकरण हेतु किया गया था। पत्रावली की जाँच में देखा गया कि इस्टीमेट में क्रमांक 9 पर मिटटी भराई कार्य $37.50 \times 46.65 \times 0.65 = 1137$ घनमीटर दर्शाया गया था। माप पुस्तिका में 1528.32 वर्ग मीटर में 1.15 मीटर ऊँचाई में मिटटी भराव दर्शाकर 1537.87 घनमीटर का भुगतान रू० 190.00 प्रति घनमीटर की दर से रू० 292030+ 15 प्रतिशत उच्च किया गया था। इस प्रकार इस्टीमेट में भराव 65 से० मी० के स्थान पर 1.15 मीटर किया गया था।

इस प्रकार 50 से० मी० अधिक भराव दर्शाया गया था। $1528.32 \times 50 = 764.16$ घनमीटर 12 1/2 प्रतिशत $95.52 = 669.08$ घनमीटर \times रू० 190.00 प्रति घनमीटर $= 127125.20 + 15$ प्रतिशत (19068.78) $= 146193.98 + 1$ प्रतिशत सेस $1461.94 = 147655.92$ का अधिक भुगतान किया गया था।

नीव में ब्रिक वर्क कुल 1-10 मीटर ऊँचाई में किया गया था तथा नीव की खुदाई 70 से० मी० थी जिसमें स्पष्ट था कि मिटटी भराई कार्य अधिकतम 50 से० मी० होना था। यदि इसे अधिकतम 65 से० मी० भी मान लिया जाय तो रू० 147655.92 का अधिक भुगतान स्पष्ट रूप से किया गया था। इसे उत्तरदायित्व निर्धारित कर वसूल किया जाय।

(13) टेण्डर दरों में उपरिलेखन कर अधिक भुगतान किया जाना रू० 0 26,510.00 :- व्यय प्रमाणक सं०-4 दिनांक 25.01.2016 द्वारा रू० 263520.00 का भुगतान ठेकेदार मै० शीलू कुमार को मो० नौरंगाबाद में साबिर के मकान के सामने से मुन्ना पंछित तक तथा महिला जेल वाली गली में इण्टरलाकिंग सड़क के निर्माण हेतु किया गया था। मै० शीलू कुमार ठेकेदार के नाम कार्यादेश सं०-4 दिनांक 05.11.2014 निर्गत किया गया था।

इस कार्य हेतु प्राप्त निम्नांकित टेण्डरों में उपरिलेखन कर दरे बढ़ायी गयी थी :-

क्रमांक	ठेकेदार का नाम	पूर्व दर प्रतिशत	बढ़ायी गई दर प्रतिशत	अन्तर प्रतिशत
1.	धमेन्द्र मिश्रा	0.2 प्रतिशत उच्च	12 प्रतिशत उच्च	10 प्रतिशत अधिक
2.	मै० स्नेह एजेन्सी	3 प्रतिशत अधिक	13 प्रतिशत अधिक	10 प्रतिशत अधिक
3.	मै० शीलू कुमार	0.1 प्रतिशत कम	08 प्रतिशत अधिक	8.01 प्रतिशत अधिक

इस प्रकार 0.01 प्रतिशत कम दर पर दिये जाने वाला कार्य 8 प्रतिशत उच्च दर देकर रू० 26510.00 की क्षति पहुँचाई गयी थी। इसका उत्तरदायित्व निर्धारित कर अधिक भुगतान/क्षति की वसूली की जाय।

उक्त पत्रावली में निम्नांकित गम्भीर अनियमितता प्रकाश में आयी :-

(1) कार्य का प्रथम भुगतान दिनांक 02.01.2015 को किया गया था। इसकी मापपुस्तिका दिनांक 20.11.14 को भरी गयी थी। इसमें नाली तथा इण्टरलाकिंग कार्य पूर्ण किया जा चुका था। द्वितीय अन्तिम बिल की माप पुस्तिका में कार्य 20.01.2015 को पूर्ण दर्शाया गया था परन्तु इसकी एम० वी० दिनांक 15.12.2015 लगभग 01 वर्ष बाद भरी गयी थी। इसमें भी सड़क के दोनों साइड में ब्रिक वर्क, प्लास्टर, सी० सी० कार्य दिखाकर रू० 45709.00 का भुगतान दिखाया गया था। यह अनियमित था। एक वर्ष बाद कार्य किये जाने तथा भुगतान का औचित्य स्पष्ट नहीं था और न ही विलम्ब से कार्य करने हेतु अर्थदण्ड लगाया गया था। कार्य पूर्ण न होने तथा इसे पूर्ण कराने हेतु पत्रावली में कोई उल्लेख नहीं दिखाया गया था। अतः यह भुगतान मान्य नहीं था।

(2) अधिशासी अभियन्ता आर० ई० एस० की जॉच आख्या दिनांक 27.01.15 में उक्त इण्टरलाकिंग उखड़ी हुई तथा चटटे लगे पाये गये जिसका कारण पाइन लाइन डालना था जबकि कार्यादेश में स्पष्ट उल्लेख था कि पाइप लाइन डालने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(14) टेण्डर रेट में उपरिलेखन कर अधिक भुगतान किया जाना रू० 5440+33740= रू० 39,180.00 :- (1)

व्यय प्रमाणक संख्या-05 दिनांक 28.08.2015 द्वारा रू० 544002.00 का भुगतान ठेकेदार सफी उल्लाह खॉ को मौ० अशोक नगर में गली नं० 4 में श्री राम संखवार के मकान से श्री राम लखन भदौरिया के मकान तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु किया गया था।

पत्रावली की जॉच में देखा गया कि आगणन धनराशि रू० 500000.00 हेतु प्राप्त 03 टेण्डर में न्यूनतम टेण्डर ठेकेदार श्री सफी उल्लाह खॉ का इस्टीमेट रेट से 7.99 प्रतिशत उच्च दर पर था, जिसे उपरिलेखन कर 8.99 प्रतिशत कर दिया गया था। टेण्डर दरों में उपरिलेखन/कटिंग मान्य नहीं थी तथा टेण्डर निरस्त किया जाना चाहिए था। इस प्रकार 1 प्रतिशत बढ़ाकर रू० 5440.00 का अधिक भुगतान किया गया था। इसे स्पष्ट करते हुए वसूली अपेक्षित है।

(2) क्रमांक-6 पर अंकित आइटम पी० सी० सी० कार्य 1:2:4 की मात्रा इस्टीमेट हमें $1 \times 2(87 \times 0.23 \times 0.08) = 3.20$ मीटर दर्शायी गयी थी, परन्तु माप पुस्तिका में त्रुटिपूर्ण ढंग से माप अंकित कर 9.27 घनमीटर का भुगतान अंकित किया गया था। इस प्रकार अनियमित रूप से अधिक मात्रा दर्शाकर 6.07 घनमीटर दर रू० 5100.00 प्रति घनमीटर की दर से रू० 30957.00+8.99 प्रतिशत =2783.00 कुल रू० 33740.00 का अधिक भुगतान किया गया था जबकि वास्तव में पी० सी० सी० 08 से० मी० के स्थान पर 05 से० मी० मोटाई में ही कार्य किया गया था। इस अधिक भुगतान की उत्तरदायी से वसूली अपेक्षित है।

(15) टेण्डर में उपरिलेखन कर अधिक भुगतान किया जाना रू० 9541+158200= रू० 1,67,741.00 :- व्यय प्रमाणक संख्या 03 दिनांक 25.01.16 द्वारा रू० 235595.00 का भुगतान ठेकेदार साई कन्स० क० को ब्रह्मनगर पक्का बाग में सुरेन्द्र बाबू से मुन्ना ठाकुर व बाजपेयी तथा परशुराम वाली गली में इण्टरलाकिंग सड़क तथा नाली निर्माण हेतु किया गया था। बिल की धनराशि 1915984.00 थी।

पत्रावली की जॉच में देखा गया कि दिनांक 30.10.2014 टेण्डर दिनांक को प्राप्त निम्नांकित निविदाओं में उपरिलेखन कर दरे बढ़ा दी गयी थी :-

क्रमांक	नाम ठेकेदार	पूर्व में अंकित निविदा दर	बढ़ाया गया
1.	राजेश कुमार सक्सेना	1.5 प्रतिशत उच्च	11.5 प्रतिशत उच्च
2.	सफी उल्लाह खॉ	1.25 प्रतिशत उच्च	11.25 प्रतिशत उच्च
3.	अजय कुमार	2 प्रतिशत उच्च	12 प्रतिशत उच्च
4.	मै० साई कन्सट्रक्शन (अवधेश)	निविदा दर पर (आगणन)	9 प्रतिशत उच्च

इस प्रकार मै0 साई कान्सट्रक्शन की निविदा आगणन दर पर थी जिसे 9 प्रतिशत उच्च पर कार्यदेश जारी किया गया था जिससे कुल बिल धनराशि पर रू0 158200.00 अधिक भुगतान किया गया था। यह कृत्य पालिका को क्षति तथा ठेकेदार को लाभ पहुँचाने वाला था। यह अनुदान का दुरुपयोग था। अतः उत्तरदायित्व निर्धारित कर अधिक भुगतान की वसूली करते हुए इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाय।

(2) उक्त कार्य में माप पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर दिनांक 20.08.2015 को मिट्टी भराई कार्य 368.84 घनमीटर को पृष्ठ सं0-4 पर अग्रसारित कर कुल मात्रा 1624.13 घनमी0 का भुगतान किया गया था, परन्तु 368-54 घनमीटर पैमाइस में 12.5 प्रतिशत सेटिलमेन्ट कटौती नहीं की गयी थी जिससे 46.07 घनमी0 का रू0 190.00 प्रति घनमीटर की दर से रू0 8753.30+ 9 प्रतिशत उच्च 787.80 कुल रू0 9541.00 का अधिक भुगतान किया गया था। इसकी की जाय

(3) उक्त कार्य के अनुमान में मिट्टी भराई कार्य 289 मीटर लम्बाई में 45 से 65 से0 मी0 मोटाई में कुल 682.35 घनमीटर अनुमानित था जबकि वास्तविक भुगतान 1698.93 घनमीटर किया गया था। इस प्रकार 1698.93-682.35=1016.58 घनमीटर मिट्टी भराई का कार्य अधिक दर्शाया गया था जो इस्टीमेट से 149 प्रतिशत अधिक था। 10 प्रतिशत से अधिक विचलन अमान्य था। अतः अधिक कार्य के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाय अन्यथा 1016.58 रू0×190.00= रू0 193150.00 अधिक भुगतान की वसूली की जाय।

(4) इस प्रकार इण्टरलाकिंग के नीचे बेस गिट्टी कार्य का अनुमान 77.75 घनमीटर का था, परन्तु भुगतान 146.60 घनमीटर लगभग दो गुना किया गया था जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाय। इसमें 146.60-77.75= 68.85 घनमीटर रू0×2971.00 प्रति घनमीटर की दर से रू0 204553.00 का अधिक भुगतान किया गया था।

(5) मिट्टी तथा गिट्टी कार्य में अधिक दिखाये गये कार्य को आगणन धनराशि से समायोजित करते हुए ब्रिक वर्क तथा इण्टरलाकिंग कम दर्शाया गया था, जबकि ब्रिक वर्क तथा इण्टरलाकिंग कार्य में 5 प्रतिशत से अधिक विचलन नहीं हो सकता। ब्रिक वर्क अनुमान 135 घनमीटर के स्थान पर 95.48 घनमीटर तथा इण्टरलाकिंग का अनुमान 940 वर्ग मीटर के स्थान पर 655.35 किया गया था। इसका कोई औचित्य नहीं था।

(16) टेण्डर दरों में परिवर्तन कर अधिक भुगतान किया जाना रू0 1,52,208.00+4,547.00 (अवस्थापना निधि)
:- मो0 गौधीनगर वीणा वादिनी स्कूल के पास लाला राम से श्री राम, सतीश चन्द्र से विशम्भर चक एवं राम के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य हेतु इस्टीमेट रू0 1058700.00 हेतु दिनांक 30.10.2014 को प्राप्त तीन निविदाओं में दरे तुलनात्मक तथा टेण्डर में 10 प्रतिशत बढ़ा दी गयी थी :-

क्रमांक	नाम ठेकेदार	ठेकेदार द्वारा अंकित दर	बद में बढ़ाई गई दर
1.	मै0 एम वर्क्स	4.50 प्रतिशत उच्च	14.50 प्रतिशत उच्च
2.	सफी उल्लाह खॉ	5.01 प्रतिशत उच्च	15 प्रतिशत उच्च
3.	गोवर्धन एण्ड क0	3.40 प्रतिशत उच्च	18.4 प्रतिशत उच्च

इस प्रकार प्राप्त टेण्डरों में न्यूनतम दर मै0 गोवर्धन एण्ड कम्पनी की 3.4 प्रतिशत उच्च की थी जिसे उपरिलेखन कर 18.4 प्रतिशत उच्च कर दिया गया था तथा ठेका मै0 एम0 वर्क्स को 14.5 प्रतिशत उच्च पर दिया गया था जिससे पालिका को 11.1 प्रतिशत अधिक के रूप में रू0 152208.00 की क्षति पहुँचकर ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया था।

उक्त ठेके में पायी गयी अन्य गम्भीर अनियमिताये निम्नवत थी :-

(1) न्यूनतम दरे गोवर्धन एण्ड कम्पनी की थी जिनके द्वारा ही वैध जमानत सेन्ट्रल बैंक की एफ0 डी0 आर0 नं0 087261 खाता क्रमांक-3401417111 दिनांक 29.10.2014 रू0 151000.00 एक वर्ष तक 29.10.2015 के लिए थी। सफी उल्लाह खॉ की जमानत भारतीय स्टेट बैंक एफ0 डी0 आर0 सं0-33189290596 रू0 82000.00 दिनांक 06.08.2014 तक के लिए तथा एफ0 डी0 आर0 नं0-33546305021 रू0 51000.00 परिपक्वता तिथि 30.12.2014 के लिए थी। इस प्रकार निविदा शर्तों के अनुसार 10 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी की शर्त इनके द्वारा पूरी न होने के कारण टेण्डर अवैध था। मै0 एम वर्क्स की निविदा के साथ अर्नेस्ट मनी संलग्न नहीं थी। तुलनात्मक में रू0 110000.00 की एफ0 डी0 आर0 का विवरण अंकित था। पत्रावली में नोट शीट में अर्नेस्ट मनी वापसी का उल्लेख नहीं था जिससे अर्नेस्ट मनी जमा की पुष्टि नहीं होती। संलग्न तुलनात्मक पर अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे।

(2) कार्यालय दिनांक 05.11.2014 को सहायक अभियन्ता के हस्ताक्षर से जारी था तथा कार्य अवधि 60 दिन थी, जबकि कार्य दिनांक 10.06.2015 को पूर्ण हुआ था। इस प्रकार कार्य 07 माह में पूर्ण हुआ था। अधिक समय हेतु रू० 50.00 प्रतिदिन पेनाल्टी नहीं लगायी गयी थी जिससे ठेकेदार को रू० 7500.00 लाभ पहुँचाया गया था। इसकी वसूली की जाय।

(3) मिटटी भराई में इस्टीमेट से अधिक भुगतान किया गया था। 60 प्रतिशत अधिक कार्य दर्शाया गया था।

क्रमांक	कार्य का नाम	आगणन मात्रा	भुगतान मात्रा	अधिक मात्रा	दर	धनराशि
1.	अर्थ वर्क फिलिंग	461 घनमी०	6.55.60 घनमी०	239.60 घनमी०	190.00	45524.00

(4) आर० सी० सी० कार्य 1:1 1/2:3 की दर रू० 6000.00 प्रति घनमीटर थी, परन्तु मापपुस्तिका में वास्तविक आर० सी० सी० कार्य 1:2:4 अनुपात में 2.09 घनमीटर किया गया था जिसका भुगतान रू० 7000.00 प्रति घनमीटर करते हुए इस पर 14.5 प्रतिशत उच्च से भुगतान किया गया था जबकि यह रू० 5100.00 प्रति घन मीटर की दर से देय था। इस प्रकार रू० 1900.00+14.5 प्रतिशत×2.09= रू० 4547.00 का अधिक भुगतान किया गया था, जिसकी वापसी करायी जाय।

(17) अवस्थापना निधि से कराये गये निर्माण कार्य मो० यदुवंश नगर में गैस वाले रोड पर सेन्ट मारिया स्कूल से राहुल के मकान तक इण्टरलाकिंग व स्लैब कार्य में पी० सी० सी० एवं मिटटी भराई का कार्य अधिक दर्शाकर अधिक भुगतान किया जाना रू० 92460+37796.00= रू० 130256.00 :- व्यय प्रमाणक संख्या 04 दिनांक 26.10.2015 द्वारा रू० 1115690.00 का भुगतान मो० यदुवंशनगर में गैस वाले रोड पर सेन्ट मारिया स्कूल से राहुल के मकान तक इण्टरलाकिंग व स्लैब निर्माण हेतु ठेकेदार मै० स्नेह एजेन्सी को किया गया था। पत्रावली की जाँच में देखा गया कि कार्य का आगणन रू० 1160900.00 का ठेका मै० स्नेह एजेन्सी को आगणन दर पर दिया गया था। निविदा दिनांक 10.07.2015 को 03 टेण्डर प्राप्त हुए थे। कार्यादेश दिनांक 15.07.2015 को निर्गत किया गया था। इस्टीमेट में कार्य आगणन क्रमांक-6 पर नाली ब्रिक वर्क पर पी० सी० सी० 1:2:4 की मात्रा $1 \times 2 \times 125 \times 0.23 \times 0.08 = 4.60$ घनमीटर दर्शाया गया था। माप पुस्तिका में पी० सी० सी० की मोटाई 0.08 के स्थान पर 0.05 कार्य किया गया था जिसके अनुसार वास्तविक कार्य $2 \times 122.5 \text{ मी} \times 0.32 \times 0.05 = 2.81$ घनमीटर किया गया था। इसके अतिरिक्त अन्य आगणन पी० सी० सी० कार्य में दर्शाकर कुल पी० सी० सी० कार्य 18.22 घनमीटर दर रू० 6000.00 प्रति घनमीटर की दर से भुगतान किया गया था जबकि मात्र 2.81 घनमीटर पी० सी० सी० कार्य का ही भुगतान देय था। इस प्रकार $18.22 - 2.81 = 15.41$ घनमीटर का दर रू० 6000.00 की दर से रू० 92460.00 अधिक भुगतान पी० सी० सी० कार्य में किया गया था। इसे स्पष्ट करते हुए वसूली की कार्यवाही की जाय।

(2) उक्त कार्य के इस्टीमेट में मिटटी भराई का कार्य 125 मीटर लम्बाई में $(70 \times 4.50 \times 1.20) + (55 \times 4.50 \times 1.10) = 650.25$ घनमीटर दर्शाया गया था परन्तु माप पुस्तिका में 122.50 मीटर लम्बाई में 1.65 मीटर मोटाई में मिटटी भराई किया गया था। इस प्रकार इस्टीमेट से 0.50 मीटर अधिक मोटाई में मिटटी भराई का कार्य दर्शाकर अधिक भुगतान किया गया था। इस्टीमेट के अनुसार मोटाई में कराये जाने पर 533.87 वर्ग मीटर के स्थान पर $(533.87 \times 1.15) = 613.95$ घनमीटर का भुगतान ही देय था, परन्तु भुगतान 770.78 घनमीटर मिटटी भराई का किया गया था। इस प्रकार रू० 770.78-613.95=156.83 घनमीटर का दर रू० 241.00 प्रति घनमीटर की दर से रू० 37796.00 अधिक भुगतान किया गया था। पत्रावली में अधिक मोटाई में मिटटी भराई का कोई कारण स्पष्ट न किया गया था। अतः उक्त अधिक भुगतान की वापसी अपेक्षित है।

(18) मो० विजय नगर में अन्नपूर्णा बैंक्वेट हाल के सामने नारायण सिंह कुशवाहा के घर से इण्टरलाकिंग सड़क निम्नण कार्य में पायी गयी अनियमिततायें :- व्यय प्रमाणक सं०-02 दिनांक 26.08.15 द्वारा रू० 400903.65 का भुगतान ठेकेदार सफी उल्लाह खॉ मो० विजय नगर में अन्नपूर्णा बैंक्वेट हाल के सामने नारायण सिंह कुशवाहा के घर से इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण हेतु किया गया था। पत्रावली की जाँच में देखा गया कि इसका इस्टीमेट त्रुटिपूर्ण बनाया गया था। विवरण निम्नवत था। :-

(1) इस्टीमेट में सड़क 55 मीटर लम्बाई में तथा 4.90 मीटर चौड़ाई में दर्शायी गयी थी जबकि मापपुस्तिका के अनुसार सड़क की चौड़ाई लगभग 02 मीटर थी तथा लम्बाई 65.20 मीटर, 14.80 मीटर तथा

52.60 मीटर कुल 132.60 मीटर थी। 52 मीटर सड़क की चौड़ाई 80 से 0 मी० से 1.60 मीटर तक थी। इसे स्पष्ट किया जाय।

(2) मिट्टी भराई कार्य आगणन में 60 से 0 मी० मोटाई में दर्शाया गया था जबकि वास्तव में मिट्टी भराई 30 से 0 मी० की गयी थी। इस प्रकार इस्टीमेट वास्तविक से परे तथा काल्पनिक था।

(3) इस्टीमेट में नाली पर स्लैब कार्य एक स्थान पर दर्शाया गया था जबकि माप पुस्तिका में 05 स्लैब दर्शाये गये थे। पत्रावली में इसका नजरी नक्शा नहीं था। इसे स्पष्ट किया जाय। स्टीमेट तथा वास्तविक कार्य भिन्न-भिन्न स्थानों के थे।

(4) कार्य 18.11.2014 को पूर्ण तथा 02.11.2013 को प्रारम्भ दर्शाया गया था। इस प्रकार कार्य एक वर्ष तक किया गया था। बिल दिनांक 22.11.14 को बनाया गया था जबकि भुगतान 26.08.2015 को किया गया था। इस प्रकार बिल बनने के 09 माह बाद भुगतान किया गया था। वर्क आर्डर दिनांक 02.11.2013 को निर्गत था जिसमें कार्य 30 दिन में पूर्ण किया जाना था। विलम्ब से कार्य पूर्ण करने पर पेनाल्टी न लगाये जाने से रू० 17000.00 की क्षति पालिका को पहुँचाई गयी थी।

(5) अनुबन्ध की कार्यवाही कार्य प्रारम्भ के 09 माह बाद दिनांक 02.08.2014 को किया गया था। औचित्य स्पष्ट किया जाय।

(19) तेहहर्वो वित्त आयोग से लेडीज पोर्टेबल यूरीनल की आपूर्ति/स्थापना कार्य में पायी गयी अनियमिततायें :- व्यय प्रमाणक सं०-7 दिनांक 29.03.2016 द्वारा रू० 899550.00 का भुगतान मै० एम० एस० बिल्डर्स को 10 स्थानों पर लेडीज पोर्टेबल यूरीनल की आपूर्ति एवं स्थापना हेतु किया गया था। पत्रावली की जाँच में देखा गया कि इसका इस्टीमेट अवर अभियन्ता द्वारा एक मुश्त प्रति नगर रू० 90000 से रू० 900000.00 का बनाया गया था, जिसका कोई आधार नहीं था। इस्टीमेट में सिन्टेक्स मेक अंकित था परन्तु इसका रेट लिस्ट नहीं था। आपूर्ति सिन्टेक्स डीलर से प्राप्त नहीं की गयी थी जिससे इनके सिन्टेक्स ब्राण्ड के होने की पुष्टि नहीं होती। इन्हें स्थानीय स्तर पर असेम्बल कर आपूर्ति किया गया था। इस्टीमेट में मात्र सिन्टेक्स यूरीनल साइस 0.91×1.075× 2.06 की आपूर्ति का उल्लेख था। इसकी स्थापना पानी की 200 लीटर की टंकी अन्दर वास बेसिन फिटिंग का उल्लेख नहीं था। माप पुस्तिका में भी कार्य का पूर्ण विवरण अंकित नहीं था। मात्र आपूर्ति ही दर्शायी गयी थी। इस आपूर्ति/स्थापना कार्य में अधिक भुगतान की सम्भवना थी। सिन्टेक्स की रेट लिस्ट तथा ब्राउजर प्रस्तुत कर इसकी पुष्टि करायी जाय।

(20) देशी मदिरा तथा वीयर शाप के लाइसेन्स कम बनाये जाने से पालिका को क्षति रू० 36,000.00 :- लाइसेन्स की जाँच में देखा गया कि आबकारी विभाग इटावा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के अनुसार निम्नांकित लाइसेन्स नहीं बनाये गये थे। :-

क्रमांक	नाम ठेकेदार तथा ठेका स्थल	ठेका	दर
1.	भरथना अड़डा श्रीमती मीरा देवी	देशी शराब	6000.00
2.	अड़डा फूलन देवी अक्षलेन्द्र कुमार तिवारी	देशी शराब	6000.00
3.	सरैया चुंगी अरविन्द कुमार	देशी शराब	6000.00
4.	अशोक नगर उपदेश कुमार	देशी शराब	6000.00
5.	शास्त्री चौराहा अरविन्द यादव	वियर शाप	6000.00
6.	तिकोनिया पंकज वर्मा (पुराना भरथना बस अड़डा)	वियर शाप	6000.00
		योग	36000.00

इस प्रकार उपरोक्त लाइसेन्स न बनाये जाने से रू० 36000.00 पालिका को क्षति हुई थी। इसकी प्रतिपूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(21) नर्सिंग होम, क्लीनिक तथा अस्पतालों के लाइसेन्स कम मात्रा में बनाये जाने से पालिका क्षति :- नर्सिंग होम लाइसेन्स पंजिका की जाँच में देखा गया कि आलोच्य वर्ष में मात्र 09 लाइसेन्स बनाये गये थे। पंजिका में कुल 11 लाइसेन्स अंकित थे जिसमें 02 लाइसेन्स वर्ष 2014-15 हेतु थे। कुल वसूली निम्नवत हुई थी। :-

लाइसेन्स शुल्क	31000.00
विलम्ब शुल्क	11000.00
प्रविष्टि शुल्क	1100.00
योग	43100.00

जबकि मुख्य चिकित्साधिकारी, इटावा की रिपोर्ट के अनुसार नगर में इसकी संख्या लगभग 200 से अधिक थी। इस प्रकार यदि सभी लाइसेन्स नियमानुसार बनाये जाय तो लगभग 500000.00 की आय पालिका को हो सकती थी, परन्तु पालिका का प्रशासन इसके प्रति उदासीन था। इसके लिए पालिका द्वारा कोई सर्वे भी नहीं कराया गया था और न ही लाइसेन्स न बनवाने पर कोई नोटिस निर्गत किया गया था।


अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(22) दुकान किराया मॉग वसूली पंजिका में उपरिलेखन कर मॉग कम किये जाने से पालिका को क्षति रू0 19,200.00 :- (1) दुकान किराया पंजिका की जाँच में पाया गया कि पंजिका संख्या-01 में पृष्ठ सं0-02 पर गुदढी बाजार में क्रमांक-1 तथा 2 पर अंकित दुकानें श्री फजुलुरहमान पुत्र इस्माइल अंसारी के नाम थी। आलोच्य वर्ष की पंजिका में क्रमांक-1 पर अंकित दुकान का किराया रू0 1100.00 प्रतिमाह को उपरिलेखन कर रू0 900.00 प्रतिमाह कर दिया गया था। वार्षिक मॉग भी रू0 13200.00 के स्थान पर रू0 10800.00 तथा बकाया रू0 42000.00 के स्थान पर रू0 34800.00 कर कुल मॉग रू0 55200.00 के स्थान पर रू0 45600.00 कर दी गयी थी, जिसे वसूल कर अवशेष शून्य दर्शाया गया था। इस प्रकार रू0 55200-45600.00 = रू0 9600.00 की कमी कर पालिका को क्षति पहुँचाई गयी थी।

(2) इसी प्रकार क्रमांक-2 पर अंकित दुकान में कुल बकाया रू0 22800.00 को कटिंग कर रू0 13200.00 दर्शाकर वसूली की गयी थी, जिससे पालिका को रू0 22800-13200= रू0 9600.00 की क्षति हुई थी। पंजिका में वार्षिक योग रू0 4200.00 के स्थान पर रू0 3000.00 कर दिया गया था।

बकाया तथा किराया की दर कम करने के सम्बन्ध में सक्षम आदेश तथा पत्रावली सम्परीक्षा में अप्रस्तुत रही। पंजिका में कटिंग कर करना अनियमित एवं आपत्तिजनक था। ऐसा कर पालिका को क्षति पहुँचाई गयी थी इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

स्थान:- कानपुर।
दिनांक:- 19.04.2017


(देवेन्द्र)
उप निदेशक
कानपुर मण्डल कानपुर

सा-03
2017-18

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद
सम्परीक्षा आख्या

संस्था का नाम :- नगर पालिका परिषद, इटावा
अवधि :- 2015-16

भाग-ख

1. गत सम्परीक्षा आख्या की समीक्षा :- गत सम्परीक्षा आख्या संस्था कार्यालय में प्राप्त हो चुकी थी। किन्तु उसकी अनुपालन आख्या नहीं तैयार की गयी थी। गत- विगत वर्षों की अनिस्तारित आपत्तियों की सूची संलग्नक परिशिष्ट -"क" पर दर्शायी गयी है, की अनुपालन आख्या तैयार कर अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित किया जाय।

2. वित्तीय स्थिति :- सम्परीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार आलोच्य वर्ष की वित्तीय स्थिति संलग्नक परिशिष्ट "ख" पर दर्शायी गयी है। :-

टिप्पणी:- (1) बैंक समाधान विवरण विगत कई वर्षों से नहीं बनाया जा रहा था, जिससे लेख में गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं की सम्भावना थी। अतः इसे बनाकर प्रस्तुत किया जाय।

(2) सम्परीक्षा में सभी बैंक खातों के स्टेटमेन्ट/बैंक पासबुकें प्रस्तुत नहीं की गयी। इन्हें प्रस्तुत किया जाय। इसके अतिरिक्त यदि अन्य बैंक खाते हो, तो उन्हें सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

(3) गत वर्ष की सम्परीक्षा आख्या के अनुसार अवस्थापना अनुदान की धनराशि रु0 21278248.00+2263689.00=23541937.00 को रा0 वि0 आ0 में प्राप्त दर्शाया गया था, जो मुख्य रोकड़बर्ही की आय में सम्मिलित थी। आलोच्य वर्ष में दिनांक 31.07.2015 को रु0 23541937.00 के सापेक्ष रु0 22613450.00 रा0 वि0 आ0 से अवस्थापना में अन्तरित दर्शाया गया था। इस प्रकार रु0 23541937-22613450=रु0 928487.00 धनराशि कम अन्तरित करने का कारण स्पष्ट किया जाय।

(4) अनावश्यक बैंक खातों को बन्द किया जाय।

(5) आय- व्यय का मदवार विवरण संलग्नक परिशिष्ट "ग" पर दर्शाया गया है।

(6) संगठित विकास योजना की आय में दुकान किराये के अतिरिक्त बैंक ब्याज की धनराशि रु0 63972.00 शामिल है। रोकड़बर्ही में इतिशेष रु0 1508146.86 था, जिसका कारण विगत वर्षों में ब्याज की धनराशि रोकड़ बर्ही में न लिया जाना। रोकड़बर्ही में संशोधित दिखाया जाय

(7) अभुक्त चेकों का विवरण परिशिष्ट "च" पर दर्शाया गया है।

3. नकद परिसम्पत्ति एवं दायित्व :- पालिका द्वारा नकद परिसम्पत्ति एवं दायित्व का विवरण तैयार नहीं किया गया था, जिससे इसकी समीक्षा नहीं की जा सकी। यद्यपि इसके लिए प्रतिवर्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को भुगतान किया जा रहा था। अतः इसका औचित्य स्पष्ट किया जाय तथा तुलन पत्र सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

4. राजकीय अनुदान :- प्रमाणित किया जाता है कि आलोच्य वर्ष के दौरान संस्था प्राप्त आवर्तक तथा अनावर्तक अनुदानों की स्थिति को संलग्नक परिशिष्ट "घ" पर दर्शाया गया है, का उपभोग उन्हीं उद्देश्यों शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया गया था, जिस हेतु वे स्वीकृत थे। अनुदानों के उपभोग में कहीं कोई विचलन था, तो उसका उल्लेख इस आख्या में यथास्थान कर दिया गया है। आलोच्य अवधि में निम्न अनुदान प्राप्त हुए थे :-

(क) राज्य वित्त आयोग :- आलोच्य अवधि में राज्य वित्त आयोग से निम्न अनुदान प्राप्त हुआ था। :-

क्रमांक	शासनादेश सं0 तथा दिनांक	अनुदान प्राप्ति तिथि	धनराशि रु0
1.	8/3506-शा0/152/चतु0 रा0 वि0 आ0/2015-16 दिनांक 20 मई 2015-16 (माह अप्रैल)	01.06.15	23001619.00
2.	8/8275-शा0/152/चतु0 रा0 वि0 आ0/2015-16 दिनांक 10 जून 2015 (माह मई)	23.06.15	23001619.00
3.	8/8423-शा0/152/चतु0 रा0 वि0 आ0/2015-16 दिनांक 26 जून 2015 (माह जून)	08.07.15	23001619.00

4.	8/8541-शा0/152/चतु0 रा0 वि0 आ0/2015-16 दिनांक 22 जुलाई 2015 (माह जुलाई)	05.08.15	23001619.00
5.	8/8735-शा0/152/चतु0 रा0 वि0 आ0/2015-16 दिनांक 21 अगस्त 2015 (माह अगस्त)	02.09.15	23001619.00
6.	8/8855-शा0/152/चतु0 रा0 वि0 आ0/2015-16 दिनांक 23 सितम्बर 2015 (माह सितम्बर)	06.10.15	29529606.00
7.	8/3767-शा0/152/चतु0 रा0 वि0 आ0/2015-16 दिनांक 16 अक्टूबर 2015 (माह अक्टूबर)	06.11.15	29529606.00
8.	8/8989-शा0/152/चतु0 रा0 वि0 आ0/2015-16 दिनांक 26 नवम्बर 2015 (माह नवम्बर)	04.12.15	29529606.00
9.	8/9016-शा0/152/चतु0 रा0 वि0 आ0/2015-16 दिनांक 21 दिसम्बर 2015 (माह दिसम्बर)	06.01.16	29529606.00
10.	8/10039-शा0/152/चतु0 रा0 वि0 आ0/2015-16 दिनांक 27 जनवरी 2016 (माह जनवरी)	10.02.16	29529606.00
11.	8/10124-शा0/152/चतु0 रा0 वि0 आ0/2015-16 दिनांक 24 फरवरी 2016 (माह फरवरी)	03.03.16	29529606.00
12.	8/10177-शा0/152/चतु0 रा0 वि0 आ0/2015-16 दिनांक 09 मार्च 2016 (माह मार्च 16)	30.03.16	29529608.00
13.	8/10251-शा0/152/चतु0 रा0 वि0 आ0/2015-16 दिनांक 21 मार्च 2016 (5 प्रतिशत आडिट अनुशासन)	30.03.16	25194474.00
		योग	346909813.00

(ख) 2 प्रतिशत अवस्थापना अनुदान (स्टैम्प शुल्क) :- आलोच्य अवधि में 2 प्रतिशत स्टैम्प से निम्न अनुदान प्राप्त हुआ था। :-

क्रमांक	शासनादेश संख्या तथा दिनांक	प्राप्त की तिथि	धनराशि
1.	8/9002/122-02 प्रतिशत/स्टाम्प शुल्क/2015-16 दिनांक 14.12.15	11.02.16	15317755.00
2.	8/10256/122-02 प्रतिशत/स्टाम्प शुल्क/2015-16 दिनांक 21.03.16	31.03.16	17907688.00
		योग	33225443.00

उक्त प्राप्त अनुदान राज्य वित्त आयोग के खाता संख्या-सी0 डी0/11122295891 भारतीय स्टेट बैंक शाखा इटावा में जमा था।

(ग) 13 वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान :- आलोच्य अवधि में पालिका को 13 वें वि0 आ0 से निम्न अनुदान प्राप्त हुआ था। :-

क्रमांक	शासनादेश संख्या तथा दिनांक	प्राप्त की तिथि	धनराशि
1.	8/7951/92(1) 13 वें वि0 आ0(सामान्य बुनियादी अनुदान (द्वितीय किश्त) वित्तीय वर्ष 2014-15 दिनांक 01 अप्रैल 2015	21.04.15	16766382.00
2.	8/2400/92(1) 13 वें वि0 आ0/2014-15 दिनांक 30 अप्रैल 2015	20.05.15	9167810.00
3.	8/2401/92(1)/13 वें वि0 आ0/2014-15/2015-16 दिनांक 30 अप्रैल 2015	20.05.15	11385849.00
4.	8/8780/171 14 सी0 एफ0 सी0/2015-16 दिनांक 4 सितम्बर 2015	15.09.15	30670615.00
	वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान		67990656.00
	बैंक से प्राप्त व्यय		2801887.00
	ब्याज सहित कुल अनुदान		70792543.00

बैंक पासबुक के अनुसार आलोच्य अवधि में 13 वें वि0 आ0 की वित्तीय स्थिति निम्नवत थी। :-

01 अप्रैल 2015 को प्रा0 अवशेष	27791309.90
वर्ष की आय	70792543.00
योग	98583852.90
वर्ष में व्यय	41330014.98
31 मार्च 2016 को इतिशेष	57253837.92
जोड़ा- अभुक्त चेकों की धनराशि	21367324.00
31 मार्च 2016 को पी0 एन0 बी0 शाखा इटावा बचत खाता सं0-0163000401513 में शेष	78621161.92

अभुक्त चेकों का विवरण :-

चेक संख्या	दिनांक	धनराशि	भुगतान का विवरण
85034	29.03.16	10151000.00	परियोजना प्रबन्धक उ० प्र० जलनिगम लेडीज यूरिनल आपूर्ति
85035	29.03.16	842120.00	
85036	29.03.16	2459991.00	नाला निर्माण हेतु
85037	29.03.16	1458536.00	
85038	29.03.16	766535.00	
85040	29.03.16	1007597.00	फागिंग मशीन एक नग
85041	29.03.16	1007598.00	फागिंग मशीन एक नग
85039	29.03.16	697351.00	पम्प आपूर्ति
85042	29.03.16	362634.00	आयकर
85043	29.03.16	639004.00	वाणिज्य कर
85044	29.03.16	121811.00	सेस भुगतान
85045	30.03.16	852147.00	नाला निर्माण
85046	30.03.16	1000000.00	अधिक भुगतान जे० एम० पी० टेक्नो, लखनऊ भुगतान

टिप्पणी :- (1) पुष्टि की जाय कि आलोच्य अवधि में उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई आवर्तक/अनावर्तक अनुदान पालिका को प्राप्त नहीं हुआ था।

(2) अनुदान पंजिका अनुरक्षित नहीं थी। इसे अनुरक्षित किया जाय।

(3) वर्षान्तर्गत 14 वें वि० आ० एवं अवस्थापना निधि के अन्तर्गत प्राप्त प्रयुक्त तथा अवशेष धनराशि का विस्तृत विवरण संलग्नक परिशिष्ट "ड०" पर दर्शाया गया है।

(4) आलोच्य अवधि में रा० वि० आ० से प्राप्त अनुदानों का विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट "ड" पर दर्शाया गया है।

(5) 14 वें वित्त अवस्थापना एवं रा० वि० आ० से किये गये भुगतानों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "ज" पर दर्शाया गया है।

5. सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट योजना अन्तर्गत प्राप्त अनुदान :- पालिका को आलोच्य वर्ष में अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम टाउन्स (यू आई डी एस एस एम टी) हेतु कोई धनराशि अनुदान के रूप में प्राप्त नहीं हुई थी। वित्तीय संलग्नक परिशिष्ट "ख" पर दर्शायी गयी है।

शासनादेश संख्या-2763/नौ-9-2011-11- आर एफ/टी० सी०-4 नगर विभाग अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 20.12.2011 द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 में जे० एन० आर० एम० कार्यक्रम के यू० आई० जी०/यू० आई० डी० एस० एस० एम टी० कार्यान्वयन के अन्तर्गत माननीय काशीराम जी नगर विकास योजना से निकाय अंशदान की धनराशि रू० 27.80 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हेतु नगर पालिका परिषद इटावा के भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत रू० 578.04 लाख में 80 प्रतिशत केन्द्रांश रू० 462.43 लाख के विरुद्ध द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू० 229.59 लाख स्वीकृति किया गया था। इसकी द्वितीय किश्त शा० सं०-345 जी० आई०/नौ-5-11-02 बजट/2007 नगर विकास अनुभाग-5 दिनांक 16.01.2012 द्वारा केन्द्रांश रू० 229.59 लाख तथा राज्यांश रू० 28.70 लाख कुल रू० 258.59 लाख स्वीकृति किया गया था। इसे निदेशक एस० एल० एन० ए० स्थानीय निकाय के पत्रांक पी० एम० यू०/38/125(11) यू० आई० डी० एस० एस० एम टी०/2011-12 दिनांक 10.01.2012 द्वारा सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट योजना अन्तर्गत पंजाब नेशनल बैंक मुख्य शाखा इटावा में में खुले खाता सं०-3685000400150965 में केन्द्रांश रू० 229.59 लाख, राज्यांश रू० 28.70 लाख तथा निकाय अंशदान रू० 2813940.00 कुल रू० 28642940.00 अन्तरित किया गया था।

प्रथम किश्त के रूप में रू० 18246560.00 वर्ष 2007-08 में प्राप्त हुआ था, जिसमें रू० 17500000.00 कार्यादायी संस्था उ० प्र० जल निगम को चैक सं०-011161 दिनांक 13.02.2008 द्वारा हस्तान्तरित किया गया था। द्वितीय किश्त के रूप में दिनांक 22.01.2009 को रू० 10914000.00 प्राप्त हुआ था, जिसमें पिछला अवशेष मिलाकर रू० 11660560.00 कार्यादायी संस्था उ० प्र० जल निगम को चैक सं० 011162 दिनांक 28.02.2009 द्वारा अन्तरित किया गया था। (डाइरेक्टर सी० एण्ड डी एस यूनिट जल निगम फर्रुखाबाद) अन्तिम किश्त के रूप में प्राप्त धनराशि रू० 28642940.00 चैक सं०-0011164 दिनांक 02.03.2012 द्वारा परियोजना प्रबन्धक कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज यूनिट-35 उ० प्र० जल निगम आगरा को प्रेषित किया गया था।

परियोजना को पूर्ण करने के उपरान्त अप्रयुक्त धनराशि रू0 3623326.00 कार्यदायी संस्था द्वारा पालिका की बैंक संख्या-04354 दिनांक 12.07.2013 द्वारा वापस कर दी गयी थी जिसे पालिका द्वारा निदेशक, एस0 एल0 एन0 ए0 स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश 8 वां तल इन्दिरा भवन, लखनऊ के नाम पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्या-4483000100005072 में बैंक संख्या-011166 दिनांक 12.08.2013 द्वारा अन्तरित कर दी गयी थी। योजना दिनांक 08.02.2013 को पालिका को हस्तान्तरित की जा चुकी थी।

6. राजकीय ऋण :- आलोच्य वर्ष में पालिका को कोई राजकीय ऋण नहीं प्राप्त हुआ था और न ही गत वर्षों का कोई ऋण उपभोग हेतु शेष था। इस कथन की पुष्टि की जाय।

7. विनियोजन :- गत सम्परीक्षा आख्या के अनुसार कोई विनियोजन नहीं था और न ही आलोच्य वर्ष में कोई विनियोजन किया गया था। इस कथन की पुष्टि की जाय।

8. नजूल लेखा :- सम्परीक्षा में नजूल पंजिका प्रस्तुत नहीं की गयी। गत सम्परीक्षा आख्या के अनुसार पंजिका में 62 सम्पत्तियों अंकित थी। इसमें निम्न कमियाँ पायी गयी :-

(1) पंजिका का सत्यापन प्रत्येक वर्ष नहीं कराया गया था।

(2) प्राप्त आय एवं इसके जमा की स्थिति स्पष्ट नहीं थी।

(3) नजूल सम्पत्तियों के अतिक्रमण मुक्त होने का प्रमाण पत्र नहीं था। कुछ सम्पत्तियों पर अतिक्रमण होने का उल्लेख था। इस सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही से सम्परीक्षा को अवगत कराया जाय।

(4) नजूल पंजिका प्रस्तुत की जाय जिससे इसके किराये पर उठाये जाने की स्थिति स्पष्ट हो सके। यदि सम्पत्तियों फ्रीहोल्ड की गयी हो, तो उसे भी स्पष्ट किया जाय।

9. सफाई कर्मचारी कल्याण निधि के अभिलेख अप्रस्तुत :- सफाई कर्मचारी कल्याण निधि से सम्बन्धित अभिलेखा/पत्रावली तथा रोकड़बही/पासबुक सम्परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। इसे प्रस्तुत किया जाये।

10. बजट समीक्षा :- आलोच्य वर्ष में बजट में अनुमानित आय रू0 483850000.00 तथा व्यय अनुमान रू0 557485000.00 था। व्यय अनुमान आय से अधिक था जिसका कारण पालिका के पास दिनांक 31.03.2015 अवशेष फण्ड था। वास्तविक आय रू0 491073406.00 तथा वास्तविक व्यय रू0 642600148.00 था। वास्तविक आय- व्यय की स्थिति निम्नवत थी। :-

क्रमांक	मद	अनुमानित आय	वास्तविक आय	अन्तर
1.	गृहकर	6000000.00	6879521.00	अधिक वसूली
2.	जलकर	6500000.00	6731711.00	अधिक वसूली
3.	आराजी/राजस्व ठेका	8500000.00	3093384.00	कम
4.	किराया दुकान	3500000.00	2667513.00	कम
5.	जलमूल्य	4500000.00	4472684.00	कम

इस प्रकार राजस्व विभाग की वसूली बहुत कम थी जिसका मुख्य कारण इस पर अधिकारियों का प्रभावी नियन्त्रण न होना तथा अभिलेखों का अनियमित रखरखाव तथा सम्पत्तियों/अभिलेखों की समीक्षा न किया जाना।

समीक्षा में यह भी देखा गया कि बजट में अधिष्ठान व्यय अनुमान अत्यधिक बढ़ाकर दिखाये गये थे। उदाहरणार्थ :-

मद	व्यय अनुमान	वास्तविक व्यय
सामान्य प्रशासन	15000000.00	7538960.00
कर संग्रह राजस्व	13000000.00	10601332.00
पेंशन अंशदान	40000000.00	30713996.00
स्वास्थ्य विभाग	4500000.00	3081369.00
जलकल	75000000.00	43178820.00
उद्यान पार्क	800000.00	538056.00

यह अनियमित था। बजट अनुमान आगणन के आधार पर बनाया जाय। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

11. सम्परीक्षा शुल्क :- पालिका की आलोच्य वर्ष की सम्परीक्षा हेतु आवंटित समय 120 मानव दिवस तथा सम्परीक्षा में तैनात 02 वरिष्ठ लेखा परीक्षक तथा 01 लेखा परीक्षक के अनुसार निम्नवत सम्परीक्षा शुल्क आरोपित किया जाता है। :-

पद	संख्या	मानव दिवस	दर	देय सम्परीक्षा शुल्क
वरिष्ठ लेखा परीक्षक	02	40×2=80	11300.00	904000.00
लेख परीक्षक	01	40×1=40	6900.00	276000.00
			योग	1180000.00

पालिका द्वारा चालान सं०-टी-1, दिनांक 27.03.2017 द्वारा आंशिक भुगतान रू० 600000.00 भारतीय स्टेट बैंक शाखा इटावा में जमा की गयी थी। शेष सम्परीक्षा शुल्क 1180000-600000= रू० 580000.00 जमा कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

स्वच्छ आपत्ति पत्रावली में अब कोई पद शेष नहीं है।

स्थान:- कानपुर।

दिनांक:- 19.04.2017

राघवेन्द्र कुमार विश्नोई (प्रभारी)

वरिष्ठ लेखा परीक्षक

(Handwritten Signature)

(देवेन्द्र)

उप निदेशक

कानपुर मण्डल, कानपुर

नगर पालिका परिषद, इटावा
वर्ष 2015-16 अनिस्तारित आपत्तियों की सूची

अवधि	सम्परीक्षा के अनुच्छेद	पद	कुल संख्या
1947-48	15,18,21,24,26,28,29,30,31,32(ख),36	17	12
1948-49	6,7,8,9,11,13,18,20,25,26,31,	22,30,38,50,57,58,66,77, 78,81,85,92,98	24
1949-50	10,12,16,22,26,28	4,11,13,15,24,25,27,32,3 9,58	16
1950-51	6(ख)	-	01
1951-52	6,8,12,14,15,16(बी),18,21	-	08
1952-53	6(सी),16(बी),20,23,24	7अंश,8,11(बी),12,13,25, 26,27,34,51,55,64,72 (नोट)(अ)	17
1953-54	12,13,16,18,20	-	05
1954-55	11,17,18,19,20(बी),22	-	06
1956-57	17	-	01
1957-58	5,12,16(बी),17,18,19,20,21,22,23,24	-	11
1958-59	12,14,15(ए)(बी),17(ए)(बी)(सी),18,19,20,21,22,23,24 30,49,53,55,57(बी)	7,8,9,14,15,17,19,23	26
1959-60	5,6,16	-	03
1960-61	4,5,6,7,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1 2,13,14,15,16,17,18,19,2 0,21,22,23,24,25,26,27,2 8,29,30,31,32,33,34,35,3 6,37,38,39,40,41,42,43,4 4,45,46,47,48,49,50,51,5 2,53,54,56,57,58,59,60,6 1,62,63,64,65,66,67,68,6 9,70,71,72,73,74,75,76,7 7,78,79,80,81,82,83,84,8 5,86,87	104
1961-62	5,5,10,11,13ए,15,16,17(बी),18,19,22,23	-	11
1962-63	5(ए)(बी)(नोट)(बी)(नोट)(सी)नोट6,10ए,12(सी) (डी)	-	07
1963-64	5(ए)(बी)(सी)(डी)(ई)(एफ),6,8,9,12,15(ए)(बी) (सी)(डी)(ई)(एफ),16,18(डी)(ई),27(ए)(बी)(सी) (डी)(ई),30	-	24
1964-65	4,5,6(ए)(बी)(सी)(12)(13)(1)(2),14,22(ए)(बी)	-	11
1965-66	5(बी),6(बी)(ई),7(डी),15,15(1)(2)(बी),17,21(बी)	-	09
1966-67	5(2),13,14,15(क)(ख)(ग),19	-	07
1967-68	10(1),11,12	-	03
1969-70	3टि0,3,8,9,10,11,12,13(क)(ख)(ग)(घ)(ङ)(च), 14,15,16,17,18,19,20,21,22(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)	-	29
1970-71	4टि0(2)(3)(4),25,26,32	-	06
1971-72	3टि0(1)(2)(3)(4)(5),4,5(1)(3),7,8,9(2)(3),10, (1)(2)(क),11(क)(ख)(ग)(घ)(ङ)(च)(1)(2)(3)(4) (छ)(ज),12,13,14(क)(ख)(1)(2),14,15(1),16,17, 18,19	-	36
1972-73	6,15	-	02
1973-74	3टि0(क)(1),4,5टि0(1)(2),8(2),8(2)(3)(4)(5),10,	48,49,50,51,52,53,54,55,	64

	11, 12, 13, 14, 15 (क)(ख)(ग)(घ), 18, 19, 20, 21 (क)(ख)(ग)(घ)(ङ)(च)(छ)(ज), 22 (क)(ख), 23, 24, 25, 26, 27 (क)(ख)(ग), 28	56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70	
1974-75	5, 6 (क)(ख), 10 (ख)(ग), 11, 12, 13, 14, 15 (क)(ख) (ग), 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 (1)(2)(3)(4)(5), 24	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81	106
1975-76	5, 19 (1)(3)(4), 20 (1)(क)(ख)(ग), 21 (1)(2), 22 (1)(2)(3)(4)(5), 23 , 24 (1)(2)	25, 31, 32, 57, 59	22
1976-77	3 टि० (3)(4), 7 (1)(2)(3)(4), 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 (1)(2)(3)	6, 8, 12, 24, 25, 26, 38, 39, 42 , 43, 44	28
1977-78	3 टि० (1), 4, 5, 7 परिशिष्ट (ख) (1)(2), 8, 9, 10 (1)(2)(3), 11, 12, (1)(2) , 13 (1)(2), 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22 (1)(2), 23, 24, 26, 27	—	26
1978-79	3 टि० (2), 5 टि० (1)(2), 6, 7 परिशिष्ट (घ) नोट (2)(3), 9, 10, 11, 12, 13, 14 (1)(2), 15 (1)(2)(3), 16 (1)(2), 17 (1)(2), 18 (1)(2)(2)(3)(4)(5) (6)(7), 19 (1)(2)(3), 20, 21 (1)(2), 22, 23, 24, 25 (1)(2)(3), 26 (4) (7), 27, 28	—	45
1979-80	16, 28, 29, 35	—	04
1980-81	6 टि० (3), 18, 19, 22 (क)(ख), 23, 24, 26, 27, 28, 33 (क)	—	11
1981-82	17, 18, 19, 20, 22, 32 (क)	—	06
1982-83 से	3 टि० (क)(ख)(ग) टि० (1)(2)(3)(4), 7 (1)(2)(3), 14, 15, 16 (ख), 20, 2 1 (क)(ख)(ग), 24 टि० (4), 25, 27 (क)(ख), 30, 33	—	22
1983-84			
1984-85	7 (घ) टि० (1), 17 (2)(3), 19 (क)(ख), 21 (1)(2)	—	07
1986-87	3 टि० (4)(5), 4 टि० (1), 6 (1)(2)(3), 7 (1), 10 (3), 15 (2)(3), 17, 18, 19 (1)(2)(3), 20 (3)(4), 21, 22 (1), 24 (क)(ख)(ग), 25 (1)(2)(3)(ख) (ग), 30 (1)(2)(3), 32	—	31
1987-88	3 टि० (3)(5)(6), 4 टि० (1)(2)(3), 7 (क) टि० (1)(2), 7 (ख) टि०, 8 टि० (1)(2)(3), 9 टि० 11 (2), 14 (ख), 15 (ख)(ग)(घ) टि० (1), 16 (1)(2)(3), 17, 18 टि० (1)(2), 19 टि०, 20, 21, 22 (1)(2), 29 (क)(ख)(ग)(घ), 30 (1)(2)(3)(4), 35, 36 (1)(2)	—	40
1988-89	3 टि० (2), 4 टि० (1)(2)(3)(4)(5), 4 टि० (क)(ख) टि० (1)(2), 15 (1)(2) (क), 16 टि०, 21, 22, 25 (1)(2), 28, 29, 33, 35, 36, 37	—	23
1989-90 से	4 टि०, 8 टि० (2), 7 टि० (2), 18, 20 टि०, 22 (1)(2), 23 (1)(2)(3)(4), 24 (1)(2), 27, 28, 29 (1)(2), 30 (1)(2), 32, 33, 34, 35, 36, 37 टि०, 38, 39 टि० (क)(ख)(1)(2)	—	29
1990-91			
1991-92	3 टि० (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7), 4 टि० (1)(2)(3), 5 टि० (1)(2), 6 टि० (1) (2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9), 7 टि० (1)(2)(3), 8 टि० (1), 12, 13, 14, 15 (1)(2)(3), 16, 17, 18 (1)(2), 22 (1)(2), 22 (1)(2)(3), 23 टि०, 24, 25, 26 (1)(2)(3)(4), 27 (1)(2), 28 (1), 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41	—	61
1992-93	4 टि० (1)(2)(3)(6)(ख) टि० (3) 14 टि० (6)(7), 15, 18, 19 (क)(ख) टि० (1)(2), 20 (1)(2), 21, 22 टि० (1)(2), 23, 24, 25, 26 (क)(ख), 27 टि०, 29, 30 टि० (1)(2)(3), 31, 34	5, 6, 7, 22, 29, 33	35

1993-94	5टि03(ख)(ज)(झ).3,4,5,12टि0(3),13(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11),14(ख),16(1)(2)(3)(4)(5),18,20,29,34	1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24	53
1994-95	3टि0(1)(2)(7)(8)(9),4टि0(1)(2)(3),5,7,टि0(1)(3),4,5,9टि0(1)(2),12,14टि0,15टि0(1)(2)(3)(4),17,18(2)टि0(1)(2)(3),19,20टि0(2),21,21टि0,22टि0(1)(2)(3),24,25,26,27(1)(1),28,29(1)(1),30,32टि0(ख)(1)(2)(3),33(1)(2)	3,36,37,40,42,43,54	53
1995-96	5टि0(1)(3)(4),6(ख)टि0(1),8टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6),14(2),16(2)टि0(1)(2),20	—	14
1996-97	4टि0(1)(2)(3)(4),6टि0(3),18,19	—	07
1997-98	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	0
1998-99	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	0
1999-2000	सम्परीक्षाआख्या-भागदो(ब)-1(क)(ख)(ग)(घ)(ङ)(च)(छ)(ज),3टि0(1)(2),4टि0(1)(2),5,5(2)(3),6टि0(2)(3),7टि0(1)(2),8(1)(2),9टि0(1)(2)(3)(4)(5),10,11(क)(1)(2)(3)(ड)(च)(छ)(ज)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(झ)12	अज्ञात	42
2000-01	सम्परीक्षाआख्याभागदो(ब)-1(क)(ख)(1)(2)(3)(ग)(1)(2)(घ)(ङ)(1)(2)टि0(1)(2)(3)(च)(छ)(ज)(झ),3टि0(1)(2),4(क)टि0(1)(3)(ख)टि0(1),5,6(2),7टि0(1)(3)(4),9,10(1)(2)(3)(4)(5)11,12,13,14,15(क)(ख)(ग)(घ)(ज)(घ),16,17,18,19	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22	69
2001-02	सम्परीक्षाआख्या-भाग-दो-(ब)-1(1)(2)(3)टि0(1)(2)(3)(4)(5),5(2)(3)(6)(7)(8),3टि0(क)(ख)(ग)(घ),4टि0(क)(ख)टि0(अ)(ब)(स)(द),5,6टि07(2)टि0(क)(ख)(ग)(घ)(च)(छ)9,10,11टि0(क)(ख)(ग),12,13,14,15(1)(2)(3)16(क)(ख)(ग)(घ),16,17(1),19,20,22,23(अ)(ब)(स)(2)(3)(ग)(घ)(1)(2)(3)(4)(र)(ल)(व)टि024	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22	86
2002-03	सम्परीक्षाआख्या-भाग-दो-(ब)-1(क)(ख)प्रथम(2)(3)(4)(5)(6)(क)(ख)(ग)(घ)(1)(2)(3)(च)(छ)(1)(2)(ज)(झ)2टि0(2)(3)(4)(5),4(क)टि0(1)(2),4(घ)टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(क)(1)(2),7(ख),8(क)टि0(1)(2)(3)(4)(5),8(ख)(1)(2)(3),8(ग)टि0(1)(2)(3)(4)8(घ)टि0(1)(2)(3)(4),9(क)(ख)(ग)(घ)(ङ)	1,2,3,4,5	60
2003-04	सम्परीक्षा-आख्या-भाग-दो(ब)-1(क)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)1(ख)टि0(1)(ग)(1)(2)(3)टि0(1)(2)(3)(घ)(ङ)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(च)(छ)(ज)(झ)(ट)(1)(2)(3)(4)(5),1,2टि0(1)(1)(1)(1)टि0(1),4(2)(3)टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(ख)टि0(1)(2)(3)(4)(5),4(क)टि0(1)(1)(1)(ख)टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6),5,6(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(ख)(1)(2)(ग)(1)(2)(3)(4)(घ)टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6),5,6(1)(2)(3),7(क)टि0(1)(1)(ख),8(क)टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6),7,8(ख)(1)(2)(ग)(1)(2)(3)(4)(घ)टि0(1)(2)(3)(4)(5),9टि0,10,11,12(1)(2)(3),13,14,15,16टि0(1)(2),17,18,19(1)(1)टि0,20,21,22,23,24	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41	161
2004-05 से 2005-06	सं0आ0-भाग-दो(ब)-1(क)(ख)(ग)(घ)(ङ)(च)(1)(1)(1)(छ)टि0(ज)(झ)(ट)टि0(1)(2)(5)(6)(ड)टि0(1)(2)(ढ)(ण)(त)(थ)(द)(ध)(न)(प)(फ)(ब)(भ)(म)(य)(र),3(क)टि0(1)(2)(3)(4)(5),3(ख)टि0(1)(2)(3)(4)(ग)टि0(1)(2)(3)(4)3,3(घ)टि0(1)(2)(3)(ड)टि0(1),4(क)टि0(1)(2)(3),4(ख)टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)6,6(अ),6(ब)टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6),7,8टि0(1)(2)(3)(4)(5),9,10टि0(1)(2),11टि0(1),12टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6),13टि0(1)(2)(3),14	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25	110
2006-07	आख्या भाग प्रथम-1(क)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)भाग-दो(ब)-1(क)(ख)(1)(2)(ग)(1)(घ)टि0(1)(2)(ङ)(च)(छ)टि0(1)(2)(3)(ज)(झ)(इयो)(ट)(ठ)(ड)(ढ)(ण)(त)टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(थ)(द)(घ)टि0(1)(2)(3)(प)(फ)(ब)(1)(2)(भ)(1)(2)	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24	119

	(3)(4)(5)(म)(य)(1)(2)(3)(4)(5), 3टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) (9)(10), 3(क)टि0(1)(2)(3)(4)(5), 4टि0(1)(2)(3)(ख)टि0(1)(2), 5, 6टि0(1)(2)(3), 7(1)(2), 8टि0(1)(2)(3), 9(1)(11)(111)(4)(1) (2)(3)(4)(5)		
2007-08	भागप्रथम-1(क)(ख)(ग)(घ)(ङ)(च)(छ)(ज)(झ)(इयों)(ट)(ठ)2, 3 टि0(1)(2)(3)(4)(5), 4टि0(1)(2), 4(अ)टि0(1)(2)(3)(4), 6, 6(अ) टि0, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	-	33
2008-09	भाग-क-(क)दा(1)(2)(3)टि0(1)(2)(4)(5)(6)(क)(छ) भाग-ख-2टि0(1)(2)(3)(6)(7)(8)3टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6), 4 (क)टि0(1)टि06, 7, (1)(2)(3)(4)(5), 8, 9, 10(क)(1)(2)(3), 10(ख) टि0(1)(2)(3)	1, 2, 3, 4	48
2009-10	भाग-क-(एक)(1), टि0, 2, 3, 4, 5टि0, 6, तीन(1)(11)(111)(2)(3) (IV)(V)(VI)(VII)(VIII)(IX), 4(1)(2)(3)(4)(5) नौ(1)(2) (3)(4)(5)	-	27
2010-11	भाग-क-(क)1, 1टि0, 2, 3, 4, 5, 6, (ख)-1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7) (8), 4, 5, 5टि0(1)(2)(3), 6, 7(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8), 8(अ)(ब)टि0 (1)(2), 8(स)टि0(1)(2)(3)(क), 8(द)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8), 9 (1)(2)(3)(4), 10, 11, 12, 12टि0(1)(2)(3)(4), 13, 13टि0(1)(2)(3) (4) भाग-ख-3टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8), 4टि0(1)(2)(3)(4)(5) (6)(7)(8)(9), 5, 6, 7, 8, 9(1)(2)(3)(4)(5)(6), 10, 11	-	90
2011-12	भाग-"क"-क(1)(2)(3)(4)(1)(2)(4)(5)(6), 5, टि0(1)(2)(3), 7, 8 (1)(2)(3), 9, 10, 11, 12, 13(1)(2), 14, 15, 16, 16टि0 भाग-"ख"-3टि0(1)(2)(3)(5), 4टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11(3)	-	45
2012-13	भाग-क-क-(1)(2)(3)(4)(1)(11)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12) (13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26) भाग-ख-3टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9), 4टि0(1)(2)(3)(4) (5)(6)(7)(8), 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	-	54
2013-14	भाग-क-1, 2, 3, 4, 4(11), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24(ख)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)	-	35
2014-15	भाग-क-(क)(1)(11)(111)(IV)(V), (ख)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7) (8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(क)(ख)(ग)(घ)(च)(छ)(ज) (16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27) भाग-ख-3टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(10)(11), 4(क)टि0 (1)(2)(3)(4), 4(ख)टि0(1)(2), 4(ग)टि0(1)(2), 5, 6टि0, 7, 8, 9, 10 टि0(1)(2)(3)(4)(5), 11(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)	-	73
		योग	2118

वरिष्ठ लेखा परीक्षक

नगर पालिका परिषद इटावा वर्ष 2015-16 मद वार आय का विवरण

1.	गृहकर	6879521.00
2.	जलकर	6731711.00
3.	प्रेक्षा गृह	33500.00
4.	ठेका तहबाजारी	2830024.00
5.	किराया आराजी भूखण्ड	263360.00
6.	किराया दुकान	2667513.00
7.	जलमूल्य	4472684.00
8.	अन्य जलकल	5669.00
9.	फीस नकल	25400.00
10.	रिक्शा लाइसेन्स फीस	55785.00
11.	विद्युत पावर लाइसेन्स फीस	44700.00
12.	खाद्य पदार्थ लाइसेन्स फीस	3800.00
13.	होटल उपविधि/नवीन लाइसेन्स फीस	496625.00
14.	अपराध समाधान/विलम्ब/जन्म मृत्यु एवं अन्य शुल्क	171912.00
15.	प्रीमियम/दुकानात	185000.00
16.	राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान	346909813.00
17.	रोड कटिंग मरम्मत हेतु जल निगम से प्राप्त	10168202.00
18.	विविध बीमा आर० डी० नामांकन, नवीनीकरण/पंजीकरण फीस	3321805.00
19.	रोकड कटिंग	11890.00
20.	टेण्डर/निविदा शुल्क	1196649.00
21.	संगठित विकास योजना	562006.00
22.	अवस्थापना निधि 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क	33225443.00
23.	13 वॉ व 14 वा वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान (अनु० 67990656+ब्याज28018877)	70792543.00
24.	यू० आई० डी० एस० एस० एम० टी० योजना	17853.00
	योग	491073408.00

नगर पालिका परिषद इटावा मदवार व्यय का विवरण वर्ष 2015-06

1.	सामान्य प्रशासन वेतन (अधिष्ठान)	
2.	सामान्य प्रशासन अन्य खर्च	6967489.00
3.	कर संग्रह (अधिष्ठान) वेतन	571471.00
4.	कर संग्रह अन्य खर्च	10592378.00
5.	पेंशन अंशदान	8954.00
6.	प्रकाश विभाग (अधिष्ठान) वेतन	30713996.00
7.	प्रकाश विभाग अन्य खर्च	1041939.00
8.	जलकल विभाग (अधिष्ठान) वेतन	29471261.00
9.	जलकल मोटर समर, पम्प मरम्मत आदि	33877911.00
10.	सबकन्जर वेन्शी (अधिष्ठान) वेतन	9300909.00
11.	-----"----- अन्य खर्च	103258710.00
12.	गाड़ियों के रखरखाव पर व्यय प्लेट एण्ड कन्टीजेन्सी	1340.00
13.	रोड़ कटिंग	11992199.00
14.	स्वास्थ्य विभाग (अधिष्ठान) वेतन	233312.00
15.	-----"----- अन्य खर्च	3043748.00
16.	चूना , कलई फिनाइल ब्लीचिंग पाउडर आदि	37621.00
17.	वैक्शी नेशन वेतन	1573109.00
18.	उद्यान पार्क माली वेतन	440023.00
19.	जन्म मृत्यु अधिष्ठान वेतन	538056.00
20.	जन निर्माण अधिष्ठान वेतन	455281.00
21.	---"--- अन्य खर्च	2712286.00
22.	सड़क निर्माण	41556.00
23.	सांसद/विधायक निधि	292055132.00
24.	मुकदमा विभाग अधिष्ठान वेतन	18662.00
25.	---"--- अन्य खर्च	750678.00
26.	भविष्य निधि	470896.00
27.	विविध, बीमा, आर0 डी0 विज्ञापन पंजीकरण शुल्क आडिट फीस आदि	7611430.00
28.	अग्रिम	21964044.00
29.	अवस्थापना निधि 2 प्रतिशत	240000.00
30.	13 वॉ/14 वॉ वित्त आयोग	31285742.00
		41330014.98
	योग	642600147.98

वित्तीय स्थिति वर्ष 2015-16

विवरण	मुख्य लेखा नगर निधि तथा रा० वि० आ०	13वां वित्त आयोग	2प्रतिशत अवस्थापना	संगठित विकास योजना	यू०आई डी एस एस एम टी
वर्ष का प्रा० शेष	299168196.71	27752174.90	5466924.86	1003584.86	440672.00
वर्ष की आय	386475561.00	70792543.00	55838893.00	625978.00	17853.00
योग	685643757.71	98544717.90	61305817.86	1629562.86	458525.00
वर्ष का व्यय	592597841.00	41330014.98	31285742.00	0	0
इतिशेष	93045916.71	57214702.92	30020075.86	—	458525.00
जोड़िये- अभुक्त चेकों की धनराशि	15114128.00	21367324.00	2583981.00	1629562.86	—
योग	1081600044.71	78582026.92	32604056.86	1629562.86	458525.00
बैंक शेष का विवरण					
1.इलाहाबाद बैंक 20487303151	अप्रस्तुत	—	—	—	—
2.जि०स०बैंक 000310005000646	5410585.75	—	—	—	—
3.भारतीय स्टेट बैंक 11122295891	135765780.69	—	रा०वि० खाते में जमा	—	—
4.पी०एन०बी० 3685000400150965	—	—	—	—	458525.00
5.---"--- 016300401513198	—	78621161.92	—	—	—
6.---"--- 0163002100003615	अप्रस्तुत	—	—	—	—
7.कोषगार पी०एल०ए०	—	—	—	—	—
8 2प्रतिशत अवस्थापना कोषगार खाता	—	—	7302.86	—	—
9.बैंक आफ बडौदा 27240100019075	—	—	—	1629562.86	—
10.आई०डी०वी०आई० बैंक 1064104000006484	अप्रस्तुत	—	—	—	—

वरिष्ठ लेखा परीक्षक

स्था० नि० ले०-104

वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद इटावा को प्राप्त एवं अप्रयुक्त अनुदानों एवं ऋणों का विवरण

परिशिष्ट 'ग'

क्र०सं०	स्थानीय निकाय का नाम	01 अप्रैल 15 को प्रा० अवशेष	राजकीय अनुदानों और ऋणों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से आय	अनाव० राजकीय अनुदान	आवर्तक राजकीय अनुदा	राजकीय ऋण	वर्ष की सम्पूर्ण आय (क+ख+ग+घ)	प्रारम्भिक अवशेष सहित योग 3+4(घ)	वर्ष में व्यय	31 मार्च 16 को अन्तिम अवशेष
1	2	3	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(च)	5	6	7
	नगर पालिका परिषद इटावा									
	मुख्य लेखा	299168197	39565748	-	346909813	-	386475561	685643758	592597841	90345917
	13 वें वित्त आयोग	27752175	2801887(ब्याज)	-	67990656	-	70792543	98544718	41330015	57214703
	2 प्रतिशत अवस्थापना	5466925	22613450(गत वर्ष)	-	33225443	-	55838893	6105818	31285742	30020076
	संगठित विकास योजना	1003585	625978	-	-	-	625978	1629563	शून्य	1629563
	यू०आई०डी०एस०एस० एम०टी०	440672	17853	-	-	-	17853	458525	शून्य	458525

प्रपत्र सं० स्था०नि०ले०-105

वर्ष 2015-16 में नगर पालिका परिषद इटावा द्वारा प्राप्त अनुदानों तथा ऋणों का विवरण

परिशिष्ट - 'घ'

आय का शीर्षक	वर्ष का वास्तविक	कुल आवर्तक अनुदान	कुल अनावर्तक अनुदान	मन्तव्य
1	2	3	4	5
1. रा० वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान	346909813	246909813	-	
2. 14 वें वि० आ० से प्राप्त अनुदान	67990656	67960656	-	
3. 2 प्रतिशत अवस्थापना अनुदान योग	33225443	33225443	-	
	448125912	448125912	-	

वर्ष 2015-16

के अन्तर्गत

नगर पालिका परिषद-52141

स्थापना नं०-10-3-8-99-100

द्वारा वसूलित अनुदानों की सारणी

क्र.सं.	राज्यीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक घतराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान	शेष	वर्ष के अन्त में अन्तर्गत अन्तर्गत	वर्षान्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत	संगतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2100 वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान									
	3506/2100/152/चतुःशत वि०	विहन व विकास	2,30,01,619	1-6-15	-	2,30,01,619	2,30,01,619			
	10/2015-16 दि० 22 अक्टू-2015	सूचना								
	8275/2100/152-चतुःशत वि०	सूचना	2,30,01,619	23-6-15	-	2,30,01,619	2,30,01,619			
	15-16, दि० 10 अक्टू-2015									
	8423/2100/152/चतुःशत वि०	सूचना	2,30,01,619	08-7-15	-	2,30,01,619	2,30,01,619			
	15-16 दि० 26 अक्टू-2015									
	8541/152/चतुःशत वि०	सूचना	2,30,01,619	05-8-15	-	2,30,01,619	2,30,01,619			
	15-16, दि० 22 अक्टू-2015									
	8735/152/चतुःशत वि०	सूचना	2,30,01,619	02-09-15	-	2,30,01,619	2,30,01,619			
	15-16, दि० 21 अक्टू-2015									
	855/152/चतुःशत वि०	सूचना	2,95,29,606	06-10-15	-	2,95,29,606	2,95,29,606			
	15-16, दि० 22 अक्टू-2015									

दिनांक

के सम्बन्ध में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन

द्वारा जारी किया।

संशोधक
राज्यीय वित्त विभाग
अध्याय-सचिव

(2)

107
34

स्वा. नि. ले. सं. 99

वर्ष के अन्तर्गत द्वारा वसूल्य अनुदानों की जानकारी

क्र.सं.	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तयंत प्राप्त अनुदान	बीब	वर्ष के अन्त में की गई धनराशि	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8/3767/152/चतु.श.नि.आ. 2015-16, दि. 19.3.2015	बैंगन व मिर्च	295,29,606	06-11-15	—	295,29,606	295,29,606			
	8/8989/152/चतु.श.नि.आ. 2015-16, दि. 26 नव. 2015	—	295,29,606	04-12-15	—	295,29,606	295,29,606			
	8/9016/152/चतु.श.नि.आ. 2015-16, दि. 21 दिस. 2015	—	295,29,606	06-01-16	—	295,29,606	295,29,606			
	8/10039/152/चतु.श.नि.आ. 2015-16 दि. 27 जन. 2016	—	295,29,606	10-2-16	—	295,29,606	295,29,606			
	8/10124/152/चतु.श.नि.आ. 2015-16 दि. 24 फ. 2016	—	295,29,606	03-03-16	—	295,29,606	295,29,606			
	8/10177/152/चतु.श.नि.आ. 2015-16, दि. 09 मार्च-2016	—	295,29,608	30-03-16	—	295,29,608	295,29,608			
	8/10251/152/चतु.श.नि.आ. 2015-16, दि. 21 मार्च, 2016	—	25194474	30-03-16	—	25194474	25194474			

प्राप्तिका संख्या दिनांक के तदर्थ में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, प्रिंसिपल की देखरेख।

दिनांक
दिनांक

प्रिंसिपल,
राजकीय विधि विभाग,
इलाहाबाद।

(3)

वर्ष के अन्तर्गत

द्वारा वसूलित अनुदानों की श्रेणियाँ

क्र. सं.	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वसुलि अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	बोच	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वसुलि में अन्तिम अवशेष	कुल व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	श्री 8/9002/122-2 प्रो. 14 दि. 14 सित. 2015	आवस्थापना कार्य	153,17,755	11.2.16	—	153,17,755	280,80,375	32,05,367	22,11,23,888	₹ 300,20,076/- 300,12,773/- 7303 को. 10 <u>300,20,076/-</u>
	श्री 8/10256/(122) 02 दि. 21 मार्च 2016	—	1,79,07,688	31.3.16	—	1,79,07,688	280,80,375	1,79,07,688	1,79,07,688	
	श्री 8/22124 प्रो. 14 दि. 21 मार्च 2016	—	—	—	54,66,925	55,83,889	61,30,581	31,28,570	2,30,20,076	

राजकीय संख्या _____ दिनांक _____ के तदर्थ में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, गिददाप की जे.पि.स. 4

विशेषज्ञ,
स्वायत्त विधि सं-१३
उत्तर प्रदेश

वर्ष 2015-16

के अन्तर्गत

द्वारा वसुधैव कुटुम्बकम् की शालिका

नपास वि० नं०-९९

क्र.सं.	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान	बोच	वर्ष के अन्त में बचे हुए धनराशि	मशीन से खर्च का अकॉउन्ट	अनुदान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
/ 14 वें नि० आ० से प्राप्त अनुदान										
	क्र० 8/7951/92(1) / नि० आ० / सामा.प.पु.नि.पा.21	सामा.प.पु.नि.पा. अनुदान	1,67,66,382	21-4-15	27791310	-	27791310	27791310	शु-भ	
	11 दिनांक क्रिस्ता वर्ष 2014-15 01 अप्रैल - 2015									
	क्र० 8/2400/92(1) 30 अप्रैल 2015	उ३१-	91,67,810	20-5-15		91,67,810	91,67,810	शु-भ	91,67,810	कु 57253838 / पी. एन. जी. सचिव, ए० 0163000401512198 मे जमा गीट - बेंक पाठ बुक के आधारे कर पर ६२५०००
	क्र० 8/2401/92(1) 2014-15	उ३१-	1,13,85,849	20-5-15		1,13,85,849	1,13,85,849	शु-भ	1,13,85,849	
	2015, दि० 30 अप्रैल - 2015									
	क्र० 8/2780/171/14 के क्र० आ० / 2015-16, दि० 4 अप्रैल 2015	उ३१-	3,06,70,615	15-9-15		3,06,70,615	3,06,70,615	शु-भ	3,06,70,615	
		बैंक लेखा का मासिक								
					27791310	7,07,92,543	9,85,83,853	4,13,30,015	57253838	

दिनांक के संदर्भ में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार

विभाग की वेबसाइट

विशेषज्ञ
 न्यायीय विधि विभाग
 उत्तर प्रदेश

128636/31.3.16	33073200	श्री रामदेवराज सोनि के ए.सी.पी. एरियर का सुधार
128637/31.3.16	33072200	श्री मती शानी सोनि का सुधार ए.सी.पी. एरियर का सुधार
128638/31.3.16	25731200	श्री मती लालदेवी सोनि का सुधार ए.सी.पी. एरियर का सुधार
128639/31.3.16	21028200	श्री रामकाशु रमेश सोनि की सुधार के ए.सी.पी. एरियर का सुधार
128640/31.3.16	3996200	अमर उजाला पब्लिकेशन सोनि 26 जनवरी-16 के दिशापत्र का सुधार
128641/31.3.16	60000200	डि-डुलकर मणिमोहन के सुधार 26 जनवरी-16 के दिशापत्र का सुधार में एम. ए.के. विन्डर्स राइतपुर में रवीन्द्र पाश्च के मकान के कलमवाली गली में इण्डरलाइटिंग लोड लिमिटेड में श्री सोनी का-एनकरधर पुरविषा टोला तहसीला में टाइलकार के कालाश में दिवशाशु व सुनार बाजपई के पास इण्डरलाइटिंग लोड लिमिटेड
128642/31.3.16	1710183200	प्रमोद कुमार शर्मा के सुधार के ए.सी.पी. एरियर का सुधार बाजपई के मकान के पास इण्डरलाइटिंग लोड लिमिटेड
128643/31.3.16	1810343200	श्री सोनी का-एनकरधर पुरविषा टोला तहसीला में टाइलकार के कालाश में दिवशाशु व सुनार बाजपई के पास इण्डरलाइटिंग लोड लिमिटेड
128644/31.3.16	212514200	प्रमोद कुमार शर्मा के सुधार के ए.सी.पी. एरियर का सुधार बाजपई के मकान के पास इण्डरलाइटिंग लोड लिमिटेड
128645/31.3.16	1079002200	श्री सोनी का-एनकरधर पुरविषा टोला तहसीला में टाइलकार के कालाश में दिवशाशु व सुनार बाजपई के पास इण्डरलाइटिंग लोड लिमिटेड
128645/31.3.16	4026251200	प्रमोद कुमार शर्मा के सुधार के ए.सी.पी. एरियर का सुधार बाजपई के मकान के पास इण्डरलाइटिंग लोड लिमिटेड

जलकल विभाग के नियमित कार्यवाहियों को अतिरिक्त वेतन भुगतान का विवरण :-

क्र.सं.	नाम / पद नाम	माह / शार्वजनिक अवकाश तिथि एवं कुल दिन	अतिरिक्त वेतन की धारणा
(1)	(2)	(3)	(4)
-	श्री दिनेश कुमार शुक्ल, पञ्च 51592	अक्टूबर-15 - 2, 13, 24, 27, 31 नवम्बर-15 - 12, 13, 25	08 दिन 7394=50
-	" महेश चन्द्र शौड़	अक्टूबर-15 - 2, 13, 21, 22, 24, 27 नवम्बर-15 11, 12, 13, 17, 25	11 दिन 9308=50
-	" राम दास पाण्डेय, पञ्च अरे-3-2	अक्टूबर-15 - 2, 13, 21, 22, 24, 27, 31 नवम्बर-15 - 11, 12, 13, 17, 25	07 दिन 06 घण्टा 6724=50
-	" अशोक कुमार शुक्ल, - " -	अक्टूबर-15 - 2, 13, 21, 22, 24, 27, 31 नवम्बर-15 11, 12, 13, 17, 25	12 दिन 10777=50
-	" अनिल कुमार लखन, - " -	नवम्बर - नवम्बर	12 दिन 10820=50
-	" नरेश कुमार, - " -	अक्टूबर-15 - 13, 21, 22, 24, 27, 31 नवम्बर-15 - 11, 12, 17, 25	10 दिन 8645=50
-	" अनिल कुमार शुक्ल - " -	अक्टूबर-15 - 2, 21, 22, 24, 31 नवम्बर-15 - 11, 12, 13, 25	09 दिन 7780=50
-	" शशि-3 कुमार, - " -	अक्टूबर-15 2, 13, 21, 22, 24, 27, 31 नवम्बर-15 11, 12, 13, 17, 25	12 दिन 10374=50
-	" सुधीर कुमार चतुर्वेदी - " -	नवम्बर - नवम्बर	12 दिन 10455=50

(2)	(3)	(4)	
श्री रामेश दत्त शींदर, पम्प अड-302	अक्टूबर-15 नवम्बर-15	2, 13, 21, 22, 24, 27, 31 } x	07 दिना 5938=200
" सुशील कुमार चुकल, - " -	अक्टूबर-15 नवम्बर-15	2, 13, 21, 22, 24, 27, 31 } 11, 12, 13, 17, 25	12 दिना 10455=200
" पवन त्रिपाठी, - " -	अक्टूबर-15 नवम्बर-15	2, 13, 21, 24, 27, 31 } 11, 12, 13, 17, 25	8 दिना 04400R 7432=200
" सुवर्ण वाजपेई - " -	अक्टूबर-15 नवम्बर-15	2, 13, 21, 22, 24, 27, 31 } 11, 12, 13, 17, 25	9 दिना 7641=200
" प्रकाश च-3 त्रिपाठी, - " -	अक्टूबर-15 नवम्बर-15	13, 21, 22, 24, 27, 31 } 11, 12, 17, 25	10 दिना 8543=200
" म-जुला शींदर - " -	अक्टूबर-15 नवम्बर-15	2, 13, 21, 22, 27 } 11, 12, 13, 17, 25	10 दिना 8529=200
दिवाजत दत्त - " -	अक्टूबर-15 नवम्बर-15	2, 13, 21, 22, 27 } 11, 12, 13, 17, 25	10 दिना 7090=200
शिवशंकर शिवरथी - " -	अक्टूबर-15 नवम्बर-15	21, 22, 24, 27, 31 } 11, 12, 17, 25	09 दिना 6470=200
गिरीश कुमार चुकली - " -	अक्टूबर-15 नवम्बर-15	13, 21, 22, 24, 27, 31 } 11, 13, 17, 25	10 दिना 7175=200
ज-22 सिंह, - " -	अक्टूबर-15 नवम्बर-15	13, 21, 22, 24, 27, 31 } 11, 12, 13, 17, 25	11 दिना 10387=200
रामशिवरथ शर्मा, - " -	अक्टूबर-15 नवम्बर-15	13, 21, 22, 24, 27, 31 } 11, 17, 17, 25	10 दिना 6873=200

(2)	(3)	(4)
श्री अजय कुमार शुक्ला, चौकीदार अभुवद-15 नवम्बर-15	2, 13, 21, 22, 24, 27, 31 11, 12, 13, 17, 25	} 11 दिन 24425 7088000
" अनादि कुण्ड, चौकीदार अभुवद-15 नवम्बर-15	2, 13, 21, 22, 24, 27, 31 11, 13, 17, 25	} 11 दिन 9584000
" शरमान सिंह — " — अभुवद-15 नवम्बर-15	2, 13, 21, 22, 24, 27, 31 11, 12, 13, 17, 25	} 12 दिन 10374000
" मनोज कुमार, — " — अभुवद-15 नवम्बर-15	— नरव —	12 दिन 8364000
" आजाद सिंह — " — अभुवद-15 नवम्बर-15	2, 13, 21, 24, 27, 31 11, 13, 17, 25	} 10 दिन 6675000
" श्री पति राम — " — अभुवद-15 नवम्बर-15	2, 13, 21, 24, 27, 31 11, 13, 17, 25	} 10 दिन 8132000
जमील अहमद, चौकीदार अभुवद-15 नवम्बर-15	2, 13, 21, 22, 24, 27, 31 11, 12, 13, 17, 25	} 12 दिन 8356000
शमी अहमद, चौकीदार अभुवद-15 नवम्बर-15	13, 21, 22, 24, 27, 31 11, 12, 17, 25	} 07 दिन 5401000
विधान प्रकाश, चौकीदार अभुवद-15 नवम्बर-15	2, 13, 21, 22, 24, 27, 31 11, 12, 13, 17, 25	} 12 दिन 8248000
" रघुवीर सिंह, — " — — नरव —	— नरव —	12 दिन 9755000

(2)

(3)

5828000

श्री आनंद खण्ड, पद्म अष्टोत्तर शतक-15	2, 13, 21, 22, 24, 31	9 दिन 2 अक्षर	5828000
" चर्क-3 कुंभ	11, 12, 13, 25		
" शिव-3 कुंभ शतक	2, 13, 21, 24, 27, 31	10 दिन	6301000
" श्रीराम पद्म लाल शतक	11, 13, 17, 25		
" श्रीराम पद्म लाल शतक	2, 13, 21, 24, 27, 31	10 दिन	6301000
" श्रीराम पद्म लाल शतक	11, 13, 17, 25		
" श्रीराम पद्म लाल शतक	2, 13, 21, 22, 24, 27, 31	12 दिन	11153000
" श्रीराम पद्म लाल शतक	11, 12, 13, 17, 25		
" श्रीराम पद्म लाल शतक	--- श्रीराम ---	12 दिन	9908000
" श्रीराम पद्म लाल शतक	--- श्रीराम ---	12 दिन	8720000
" श्रीराम पद्म लाल शतक	2, 13, 21, 22, 27, 31	11 दिन	9543000
" श्रीराम पद्म लाल शतक	11, 12, 13, 17, 25		
" श्रीराम पद्म लाल शतक	2, 13, 21, 22, 24, 27, 31	12 दिन	8602000
" श्रीराम पद्म लाल शतक	11, 12, 13, 17, 25		
" श्रीराम पद्म लाल शतक	2, 13, 21, 22, 24, 27	10 दिन	6970000
" श्रीराम पद्म लाल शतक	11, 12, 17, 25		
" श्रीराम पद्म लाल शतक	2, 13, 21, 22, 27	10 दिन	6301000
" श्रीराम पद्म लाल शतक	11, 12, 13, 17, 25		
" श्रीराम पद्म लाल शतक	2, 13, 21, 22, 24, 27, 31	12 दिन	8364000
" श्रीराम पद्म लाल शतक	11, 12, 13, 17, 25		
" श्रीराम पद्म लाल शतक	2, 21, 22, 24, 31	09 दिन	6186000
" श्रीराम पद्म लाल शतक	11, 13, 17, 25		

